हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984

(1984 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22)

संख्या लैज 111/2013. — द हरियाणा कोआपरेटिव सोसाइटीज अमेन्डमेन्ट एक्ट, 2013 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल के तिथि 12 जुलाई 2013, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रमाणिक पाठ समझा जाएगाः–

सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

अध्याय–1–प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार :– (1) यह अधिनियम हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984, कहा जा सकता है।

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य पर है।

2. प्रस्तावना :– "हरियाणा राज्य में सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित विधि को समेकित तथा संशोधित करने तथा सहकारी सोसाइटियों को स्वैच्छिक बनाने, स्वायत कृत्य करने, लोकतांत्रिक नियन्त्रण तथा व्यावसायिक प्रबन्धन को सुकर बनाने के लिये तथा उससे सम्बन्धित तथा उनसे आनुषंगिक मामलों के लिये अधिनियम।"।

(क) ''शिखर सोसाइटी'' से अभिप्राय है, कोई ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है और जिसका प्राथमिक उद्देश्य उन अन्य सहकारी सोसाइटियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देना और उन के प्रचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना है जो इसकी सदस्य हैं;

*(कक) ''संचालन क्षेत्र'' से अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यक्ति सदस्य के रूप में प्रविष्ट किये जाते हैं ;

****(कख) "लेखापरीक्षक" से अभिप्राय है, सहकारिता विभाग में नियुक्त किया गया निरीक्षक (लेखापरीक्षा), वरिष्ठ लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा अधिकारी;**

*****(कग) "लेखापरीक्षण फर्म" से अभिप्राय है चार्टर्ड अकाउंटेन्ट या चार्टर्ड अकाउंटेन्ट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ के भीतर, चार्टर्ड अकाउंटेन्टों की फर्म, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेन्ट संस्था के सदस्य हैं;'**;

(ख) ''उपविधियां'' से अभिप्राय है, उस समय में प्रवृत्त पंजीकृत उपविधियां ;

(ग) ''संवर्ग सोसाइटी'' से अभिप्राय है, कोई ऐसी शिखर सोसाइटी जिससे धारा 37 के अधीन एक सामान्य संवर्ग गठित करने की अपेक्षा की जाती है ;

(घ) ''केन्द्रीय सोसाइटी'' से अभिप्राय है, कोई ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका प्राथमिक उद्देश्य ऐसी अन्य सहकारी सोसाइटियों के कार्यकरण को सुविधा देना जो इसकी सदस्य हैं ;

*(घक) ''प्रमाणित प्रति'' से अभिप्राय है, ऐसी प्रति के पाद भाग में किसी लिखित प्रमाण–पत्र सहित सोसाइटी की बुक में किसी प्रविष्टि की प्रति कि यह ऐसी प्रविष्टि की सही प्रति है कि ऐसी प्रविष्टि सोसाइटी की किसी बुक में अन्तर्विष्ट है तथा कारबार के सामान्य तथा साधारण अनुक्रम में की गई थी तथा कि बुक अभी तक सोसाइटी की अभिरक्षा में है। ऐसा प्रमाण–पत्र सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी द्वारा उसके नाम तथा पदाभिधान सहित हस्ताक्षरित किया जाएगा ;

(घख) लोप कर दिया

(ड.) "समिति" से अभिप्राय है, किसी सहकारी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड या शासी निकाय, चाहे वह किसी भी नाम

से पुकारा जाए, जिसे सोसाइटी के कार्यक्लाप के निर्देशन की शक्ति तथा प्रबन्ध का नियंत्रण सौंपा गया हैं;';

*(ड.क) ''सहकारी बैंक'' से अभिप्राय है, कोई सहकारी सोसाइटी जो बैंकिग कारोबार करती है ;

**(ड.कक) ''सहकारी उधार संरचना'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियां, कृषक सेवा सोसाइटियां, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ;

*(ड.ख) ''सहकारी सिद्धांत'' से अभिप्राय है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट सहकारी सिद्धांत ;

(च) ''सहकारी सोसाइटी''या ''सोसाइटी'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत या पंजीकृत समझी गई कोई सोसाइटी ;

(छ) ''परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी'' से अभिप्राय है, कोई ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा परिसीमित है ;

(ज) ''अपरिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी'' से अभिप्राय है, कोई ऐसी सोसाइटी जिसके सदस्यों का दायित्व, उसके परिसमापन की दशा में, सोसाइटी की आस्तियों में किसी कमी को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप में और पृथक रूप में अभिदाय करने के प्रयोजन के लिए अपरिसीमित है ;

*(जक) ''प्रतिनिधि'' से अभिप्राय है, इसकी उप–विधियों के अनुसार सोसाइटी के साधारण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों के समूह द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ;

(जख) "निर्वाचन प्राधिकरण" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1क) के अधीन गठित किया गया सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण;';

(झ) ''वित्त–संस्था'' से अभिप्राय है, सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाने वाली संस्था ;

(ञ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;

*(ञक) ''हित'' से अभिप्राय है, किसी सोसाइटी में किसी सदस्य का कोई हित तथा इसमें शामिल है शेयर, ऋण, निक्षेप तथा बाध्यताएं जो इसकी उप–विधियों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, तथा किसी सदस्य को सोसाइटी द्वारा देनदारी है ;

(ट) ''सदस्य'' से अभिप्राय है, कोई व्यष्टि या सोसाइटी जो किसी सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण के बाद इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अनुसार सदस्यता में सम्मिलित कर लिया जाता है/कर ली जाती है और इसके अन्तर्गत है, कोई सह–सदस्य और सरकार जब वह किसी सोसाइटी की अंश पूंजी में अभिदाय करती हैं ;

**(टक) ''राष्ट्रीय बैंक'' से अभिप्राय है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61), के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ;

(ठ) ''शुद्ध लाभ'' से अभिप्राय है, स्थापना प्रभारों, समाश्रित प्रभारों, कर्जों तथा जमा राशियों पर भुगतान–योग्य ब्याज, संपरीक्षा फीस तथा ऐसी अन्य राशियों को, जो विहित की जाएं, घटाने के पश्चात्, लाभ ;

(ड) "अधिकारी" से अभिप्राय है, नियुक्त किया गया, निर्वाचित किया गया या नामनिर्देशित किया गया, जैसी भी स्थिति हो, प्रधान, उपप्रधान, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिव, प्रबन्धक, समिति का सदस्य, खजांची, समापक, प्रशासक तथा इसमें शामिल हैं, सोसाइटी द्वारा नियोजित तथा किसी सहकारी सोसाइटी के कारबार के सम्बन्ध में निर्देश देने के लिये नियमों या उपविधियों के अधीन सशक्त कोई अन्य व्यक्ति ;';

(ढ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ण) ''प्राथमिक सोसाइटी'' से अभिप्राय है, कोई सहकारी सोसाइटी जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के सामान्य हितों को बढ़ावा देना है और जिसकी सदस्यता केवल व्यक्तियों की है;

(त) ''उत्पादक सोसाइटी'' से अभिप्राय है, ऐसी सोसाइटी जो अपने सदस्यों के माल और वाणिज्या के सामूहिक सम्पति के रूप में उत्पादन और निपटान के उद्देश्यों से बनाई गई है और इसके अन्तर्गत है, इसके सदस्यों के श्रम के सामूहिक निपटान के उद्देश्यों से बनाई गई कोई सोसाइटी;

**(तक) ''रिजर्व बैंक'' से अभिप्राय है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2), के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक;';

(थ) ''नियम'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम;

'(द) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के कृत्य का पालन करने के लिये नियुक्त कोई व्यक्ति और इसके अन्तर्गत है, रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिये नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जब वह रजिस्ट्रार की शक्तियों में से किसी का प्रयोग कर रहा हो;'।

*(दक) ''अनुसूची'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची ;

(ध) ''धारा'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा;

*(धक) ''शेयर'' से अभिप्राय है, अधिकारों तथा दायित्वों दोनों, सहित किसी धन राशि द्वारा आंका गया सोसाइटी में किसी सदस्य का हित ;

(न) ''न्यासी'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 67 में निर्दिष्ट न्यासी; और

(प) ''कमजोर वर्ग'' से अभिप्राय है ;–

(i) हरियाणा कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1976 की धारा 2 में यथा परिभाषित खेती मजदूर, उपान्तिक किसान तथा छोटा किसान;

(ii) अनुसूचित जातियों के सदस्य और ऐसे अन्य आर्थिक तथा सामाजिक रूप में पिछड़े या उपेक्षित व्यक्ति जिन्हें सरकार समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

*(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39), में परिभाषित अन्य शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में दिये गये हैं।

अध्याय–II

सहकारी सोसाइटियों का पंजीकरण

3. रजिस्ट्रार :– (1) सरकार किसी व्यक्ति को राज्य की सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है और उसकी सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।

(2) सरकार रजिस्ट्रार की सहायता के लिए किसी व्यक्ति को साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम और नियमों के अधीन रजिस्ट्रार की **[ ] कोई शक्तियां प्रदान कर सकती हैं।

**(3) रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रार के सामान्य अधीक्षण तथा नियंत्रणाधीन रहते हुए उपधारा (2) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, रजिस्ट्रार उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों को निर्देश दे सकता है जो उन पर आबद्धकर होंगे।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (2) के अधीन सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के फलस्वरूप किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया आदेश या लिया गया निर्णय अपील के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति का आदेश या निर्णय समझा जाएगा, रजिस्ट्रार का नहीं।

4. सोसाइटियां जो पंजीकृत की जा सकती हैं :– (1) इसमें इस के पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई सोसाइटी जिसका उद्देश्य यथा विहित सहकारी सिद्वातों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है या कोई सोसाइटी जो ऐसी सोसाइटी के

प्रचालन को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है, इस अधिनियम के अधीन परिसीमित दायित्व सहित या उसके बिना पंजीकृत की जा सकती है :

परन्तु जब तक सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न करे, उस सोसाइटी का दायित्व परिसीमित होगा जिसकी सदस्य कोई सहकारी सोसाइटी है।

(2) इस अधिनियम के अधीन परिसीमित दायित्व के साथ पंजीकृत प्रत्येक सोसाइटी के नाम का अन्तिम शब्द ''परिसीमित'' या किसी भारतीय भाषा में इसका पर्याय होगा।

5. पंजीकरण पर निर्बन्धन :– जिस सोसाइटी की कोई सदस्य सहकारी सोसाइटी है, उससे भिन्न कोई भी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन तब तक पंजीकृत नहीं की जाएगी, जब तक वह अठारह वर्ष की आयु से ऊपर कम से कम दस व्यक्तियों से या परिवारों की यथाविहित संख्या के व्यक्तियों की ऐसी अन्य अधिक संख्या से मिलकर नहीं बनी हो जो प्रत्येक मामले में समय–समय पर रजिस्ट्रार द्वारा अवधारित की जाए*[:]

***परन्तु सरकार द्वारा तैयार की गई किसी रोजगार स्कीम के लिए रजिस्ट्रार अठारह वर्ष की आयु से ऊपर के पांच व्यक्तियों की एक सोसाइटी पंजीकृत कर सकता है।

6. अंशधारण करने पर निर्बन्धन :– सरकार या किसी सहकारी सोसाइटी से भिन्न कोई भी सदस्य किसी सहकारी सोसाइटी की अंश पूंजी के पांचवें भाग के अधिकतम के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रभाग, जैसा विहित किया जाए, या ****(पांच लाख) रुपये, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक धारण नहीं करेगा या ऐसी सोसाइटी के अंशों में ऐसी राशि से अधिक कोई हित नहीं रखेगा या किसी हित का दावा नहीं करेगा।

7. पंजीकरण के लिये आवेदन :– (1) पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तावित उपविधियों सहित विहित प्ररुप में किया जाएगा।

(2) आवेदन–

(क) किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में, जिसकी सदस्य कोई भी सहकारी सोसाइटी नहीं है, धारा 5 की अपेक्षाओं के अनुसार अर्हित कम से कम दस व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा; और

(ख) किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में, जिसकी सदस्य कोई सहकारी सोसाइटी है, प्रत्येक ऐसी सोसाइटी की ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और जहां सोसाइटी के सभी सदस्य सहकारी सोसाइटियां नहीं हैं, वहां अन्य दस सदस्यों द्वारा या जब अन्य सदस्य दस से कम हैं, तो उनमें से प्रत्येक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

8. पंजीकरण :– (1) यदि रजिस्ट्रार की सन्तुष्टि हो जाती है कि –

(क) आवेदन इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार है ;

(ख) प्रस्तावित सोसाइटी के उद्देश्य धारा 4 के अनुसार हैं ;

(ग) प्रस्तावित उपविधियां इसी अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं हैं ; और

(घ) प्रस्तावित सोसाइटी की सफलता की युक्ति–युक्त सम्भावना है ;

तो रजिस्ट्रार सोसाइटी और उसकी उपविधियों को पंजीकृत कर सकता है।

*(2) जहां रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को पंजीकृत करने से इन्कार करता है, तो वह इनकारी आदेश, उसके कारणों सहित पंजीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर यथाविहित ऐसे आवेदकों को संसूचित करेगा ;

परन्तु कोई भी इनकारी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो :

परन्तु यह और कि यदि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट एक मास की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन का निपटान नहीं किया जाता है या रजिस्ट्रार उक्त अवधि के भीतर इनकारी आदेश को संसूचित करने में असफल रहता है, तो आवेदन पंजीकरण के लिए स्वीकार किया गया समझा जाएगा तथा रजिस्ट्रार इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

***8क. कतिपय मामलों में विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार की शक्ति–** जहां किसी सदस्य को बनाने, पंजीकरण या प्रवेश के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति सोसाइटी के संचालन क्षेत्र में निवास करता है या क्या कोई व्यक्ति विशेष वर्ग या व्यवसाय

से सम्बन्धित है या सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की पात्रता से सम्बन्धित ऐसा अन्य मामला है, तो ऐसा प्रश्न रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चय किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

9. पंजीकरण प्रमाण–पत्र :– जहां कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत की जाती है,वहां रजिस्ट्रार स्वहस्ताक्षरित पंजीकरण प्रमाण–पत्र देगा, जो इस बात का निश्चायक प्रमाण होगा कि उसमें उल्लिखित सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से पंजीकृत है।

***9क. उप–विधियां बनाने की शक्ति :–** (1) रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अध्यधीन प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत इसकी अपनी उप–विधियां बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी उप–विधियां निम्नलिखित विषयों में से सभी या किन्हीं के लिए उपबंध कर सकती हैं, अर्थात् :–

(i) सोसाइटी का नाम, पता तथा संचालन क्षेत्र;
(ii) सोसाइटी के उद्देश्य;
(iii) अपने सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं;
(iv) सदस्यता प्राप्त करने के लिए पात्रता;
(v) सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया;
(vi) सदस्य के रूप में बने रहने के लिए शर्तें;
(vii) सदस्यता वापसी के लिए प्रक्रिया;
(viii) सदस्यता का अन्तरण;
(ix) सदस्यता से निष्कासन के लिए प्रक्रिया;
(x) सदस्यों के अधिकार तथा कर्तव्य;
(xi) सोसाइटी की पूंजी का स्वरूप तथा मात्रा;
(xii) रीति जिसमें एक सदस्य अधिकतम पूंजी का अंशदान कर सकता है;
(xiii) स्रोत जिनसे सहकारी सोसाइटी द्वारा निधियां बढ़ाई जा सकती हैं;
(xiv) प्रयोजन जिसके लिए निधियां लागू हो सकेंगी;
(xv) सहकारी सोसाइटी के शुद्ध लाभ के आबंटन या संवितरण की रीति;
(xvi) विभिन्न रिजर्वस का गठन;
(xvii) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित से भिन्न साधारण अधिवेशनों को बुलाने तथा उनकी गणपूर्ति की रीति;
(xviii) साधारण तथा अन्य अधिवेशनों में, नोटिस के लिए प्रक्रिया तथा मतदान की रीति;
(xix) उप–विधियों में संशोधन करने के लिए प्रक्रिया;
(xx) बोर्ड निदेशकों/प्रबन्धन समिति के सदस्यों की संख्या जो इक्कीस से अधिक न हो;
(xxi) सोसाइटी के निदेशकों, अध्यक्षों तथा अन्य पदाधिकारियों की अवधि जो पांच वर्ष से अधिक न हो;
(xxii) बोर्ड निदेशकों/प्रबन्ध समिति के सदस्यों को हटाने के लिए तथा रिक्तियों को भरने के लिए प्रक्रिया;
(xxiii) वर्ष मे बोर्ड/समिति अधिवेशन बुलाने की रीति, इसकी गणपूर्ति, ऐसे अधिवेशनों की संख्या तथा ऐसे अधिवेशनों के स्थान;
(xxiv) मुख्य कार्यकारी की शक्तियां तथा कृत्य;
(xxv) शास्ति अधिरोपित करने की रीति;
(xxvi) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, अधिकार तथा कर्तव्य तथा लेखा परीक्षा के संचालन के लिए प्रक्रिया ;
(xxvii) सोसाइटी की ओर से दस्तावेज हस्ताक्षर करने तथा वाद संस्थित तथा प्रतिरक्षा करने तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों के लिए अधिकारियों को प्राधिकार देना;

(xxviii) निबन्धन जिन पर सहकारी सोसाइटी सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों से व्यवहार करेगी;

(xxix) निबन्धन जिन पर सहकारी सोसाइटी अन्य सहकारी सोसाइटियों से सहयुक्त होगी;

(xxx) निबन्धन जिन पर सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटियों से भिन्न संगठनों से व्यवहार करेगी ;

(xxxi) अधिकार, यदि कोई हो, जो सहकारी सोसाइटी किसी अन्य सहकारी सोसाइटी या सहकारी संघ को प्रदान कर सकती है तथा परिस्थितियां जिनके अधीन ऐसे अधिकारों का प्रयोग सहकारी संघ द्वारा किया जाएगा;

(xxxii) सहकारी सोसाइटी द्वारा संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण प्रोग्राम;

(xxxiii) सहकारी सोसाइटी के कारबार के मुख्य स्थान तथा अन्य स्थान;

(xxxiv) इसके सदस्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवाओं का न्यूनतम स्तर;

(xxxv) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

***10. उप–विधियों का संशोधनः–** (1) किसी सहकारी सोसाइटी की किन्हीं उप–विधियों का कोई भी संशोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक ऐसा संशोधन इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं हुआ है।

(2) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन, सोसाइटी के साधारण अधिवेशन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किया जाएगा।

(3) ऐसा कोई भी संकल्प तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक सदस्यों को प्रस्तावित संशोधन को सुस्पष्ट पन्द्रह दिन का नोटिस नहीं दिया गया हो।

(4) प्रत्येक मामले में, जिसमें सहकारी सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव करती है, करने के लिए आवेदन, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित के साथ किया जाएगा –

(क) उपधारा (2) में निर्दिष्ट संकल्प की प्रति ;

(ख) विवरण जिसमें निम्नलिखित उपदर्शित करने वाली अन्तर्विष्ट विशिष्टियां हों–

(i) साधारण अधिवेशन की तिथि जिसको उपविधियों में संशोधन किए गए थे;

(ii) साधारण अधिवेशन बुलाने के लिए दिए गए नोटिस के दिनों की संख्या;

(iii) सहकारी सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या;

(iv) ऐसे अधिवेशन के लिए अपेक्षित गणपूर्ति;

(v) अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या;

(vi) सदस्यों की संख्या जिन्होंने ऐसे अधिवेशन में मतदान किया हो ;

(vii) सदस्यों की संख्या जिन्होंने उपविधियों में ऐसे संशोधनों के पक्ष में मतदान किया हो;

(ग) ऐसे संशोधनों को न्यायोचित ठहराने के कारणों सहित, किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधन के साथ, लागू सुसंगत उपविधियों की प्रति;

(घ) उपविधियों के पाठ में प्रस्तावित संशोधन सम्मिलित करते हुए साधारण निकाय द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चार प्रतियां;

(ड.) उपविधियों में संशोधन के लिए सदस्यों को दिए गए नोटिस तथा प्रस्ताव की प्रति;

(च) व्यक्ति जिसने साधारण अधिवेशन की अध्यक्षता की हो द्वारा, प्रमाणित करते हुए कि उपधारा (2) तथा (3) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया तथा उप–विधियों का अनुसरण किया गया था, हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र;

(छ) कोई अन्य ब्यौरा जो इस निमित रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित हो।

(5) प्रत्येक ऐसा आवेदन साधारण अधिवेशन जिसमें उप–विधियों का ऐसा संशोधन पारित किया गया था, कि तिथि से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

(6) यदि उप–धारा (5) के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार की सन्तुष्टि हो जाती है कि निम्नलिखित प्रस्तावित संशोधन–

(क) इस अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं हैं;

(ख) सहकारी सिद्धातों का विरोध नहीं करता है; तथा

(ग) सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करेगा, वह उस द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर संशोधन पंजीकृत कर सकता है।

(7) रजिस्ट्रार संशोधन के पंजीकरण की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र सहित उसकी पंजीकृत प्रति सहकारी सोसाइटी को अग्रेषित करेगा तथा ऐसा प्रमाण–पत्र निश्चायक साक्ष्य होगा कि संशोधन सम्यक् रूप से पंजीकृत कर दिया गया है।

(8) जहां रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी की उप–विधियों का संशोधन पंजीकृत करना इनकार करता है, तो वहां वह आवेदन की प्राप्ति की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर विहित रीति में सोसाइटी को उसके कारणों सहित इनकारी आदेश संसूचित करेगा :

परन्तु यदि उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट तीन मास की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन का निपटान नहीं किया जाता है या रजिस्ट्रार उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट इनकारी आदेश संसूचित करने में असफल रहता है, तो आवेदन पंजीकरण के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाएगा तथा रजिस्ट्रार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(9) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन, जब तक यह विशेष दिन को प्रवर्तन में आने के लिए अभिव्यक्त नहीं किया जाता, उस दिन जिसको यह पंजीकृत कर दिया जाता है, से लागू होगा।

11. नाम में परिवर्तन :– (1) कोई सहकारी सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन द्वारा अपना नाम परिवर्तित कर सकती है, परन्तु ऐसा परिवर्तन सोसाइटी के या उसके सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों में से किसी के किसी अधिकार या बाध्यता पर प्रभाव नहीं डालेगा और कोई लम्बित विधिक कार्यवाही सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध उसके नए नाम से चालू रह सकती है।

(2) जहां कोई सहकारी सोसाइटी अपना नाम परिवर्तित करती है, वहां रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी की पंजी में पहले नाम के स्थान पर नया नाम दर्ज करेगा और पंजीकरण प्रमाण–पत्र इसके अनुसार संशोधित करेगा।

12. दायित्व में परिवर्तन :– (1) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई सहकारी सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन द्वारा अपने दायित्व के स्वरूप या परिमाण में परिवर्तन कर सकती है।

(2) जब किसी सहकारी सोसाइटी ने अपने दायित्व के स्वरूप या परिणाम में परिवर्तन करने का संकल्प पारित कर दिया है, तो वह अपने सभी सदस्यों और लेनदारों को इस बात का एक लिखित नोटिस देगी तथा किसी उपविधि या संविदा के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी सदस्य या लेनदार को उस पर नोटिस की तामील हो जाने की तिथि से एक मास की अवधि के दौरान, यथास्थिति, अपने अंशों, जमा राशियों को वापस लेने का या कर्जों को वापस करने का विकल्प प्राप्त होगा।

(3) ऐसे किसी सदस्य या लेनदार के सम्बन्ध में, जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता, यह समझा जायेगा कि उसने परिवर्तन के बारे में अनुमति दे दी है।

(4) किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में उसके दायित्व के स्वरूप या परिणाम में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा या तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी सदस्यों तथा लेनदारों के दावों का पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया है, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट विकल्प का उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रयोग करते हैं।

13. सहकारी सोसाइटियों का समामेलन, उनकी आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण तथा उनका विभाजन :– * (1) सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी के साधारण अधिवेशन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, –

(क) अपनी आस्तियों और दायित्वों को पूर्णतः या अंशतः किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को अन्तरित कर सकती है।

(ख) स्वयं को दो या दो से अधिक सहकारी सोसाइटियों में विभाजित कर सकती है :

परन्तु जहां सरकार ने शेयर पूंजी अंशदान के रूप में सोसाइटी की सहायता की हो वहां सोसाइटी, रजिस्ट्रार का पूर्व अनुमोदन लेगी।

(2) कोई दो या अधिक सहकारी सोसाइटियां रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसी प्रत्येक सोसाइटी के साधारण अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, स्वयं को समामेलित कर सकती हैं और एक नई सहकारी सोसाइटी बना

सकती हैं।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी के संकल्प में, यथास्थिति, अन्तरण, विभाजन या समामेलन की सभी विशिष्टियां होंगी।

(4) जब किसी सहकारी सोसाइटी ने ऐसा कोई संकल्प पारित कर दिया है, तो वह अपने सभी सदस्यों और लेनदारों को उसका एक लिखित नोटिस देगी और उपविधियों या संविदा के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी सदस्य या लेनदार को, उस पर नोटिस की तामील हो जाने की तिथि से एक मास की अवधि में, यथास्थिति, अपने अंशों, जमा राशियों को वापस लेने का या कर्जों को वापस करने का विकल्प प्राप्त होगा।

(5) किसी ऐसे सदस्य या लेनदार के सम्बन्ध में, जो उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता, यह समझा जायेगा कि संकल्प में दिए गए प्रस्तावों के बारे में उसने अनुमति दे दी है।

(6) इस धारा के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा पारित कोई संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक या तो–

(क) इसके सम्बन्ध में सभी सदस्यों और लेनदारों की अनुमति प्राप्त नहीं कर ली गई है, अथवा

(ख) ऐसे सभी सदस्यों और लेनदारों के दावों का पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया है, जो उपधारा (4) में निर्दिष्ट विकल्प का विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रयोग करते हैं।

(7) जहां इस धारा के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा पारित संकल्प में किन्ही आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण की बात करती है, वहां संकल्प, उस समय प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी और हस्तान्तरण पत्र के बिना भी अन्तरिती में आस्तियां और दायित्व निहित करने के लिए पर्याप्त हस्तान्तरण होगा।

14. अनिवार्य समामेलन :– (1) जहां रजिस्ट्रार की सन्तुष्टि हो जाती है कि सहकारी सोसाइटी के हित में यह आवश्यक या वांछनीय है कि–

(i) एक या अधिक सहकारी सोसाइटियों को किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के साथ समामेलित कर दिया जाए; या

(ii) दो या अधिक सहकारी सोसाइटियों को नई सहकारी सोसाइटी बनाने के लिए समामेलित कर दिया जाए;

तो धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार विलद संस्थाओं के साथ, यदि कोई हों, परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा उक्त सोसाइटी या सोसाइटियों का समामेलन–

(क) किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के साथ करने के लिए, या

(ख) नई सोसाइटी बनाने के लिए,

ऐसे गठन, सम्पति, अधिकारों, हितों, दायित्वों, कर्तव्यों और बाध्यताओं के साथ जो आदेश में बताए जाएं, उपबन्धित कर सकता है।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक–

(i) प्रस्तावित आदेश की एक प्रतिलिपि सोसाइटी या प्रत्येक सम्बद्ध सोसाइटी को न भेज दी जाये जिसमें प्रस्तावित आदेश पर आक्षेप या सुझाव, आदेश की प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के भीतर भेजने की अपेक्षा की जाए;

(ii) रजिस्ट्रार ने ऐसी सोसाइटी या उसके सदस्यों या लेनदारों से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार न कर लिया हो और प्रस्तावित आदेश में ऐसे परिवर्तन न कर लिए हों जो वह उचित समझे;

(iii) समामेलित की जाने वाली प्रत्येक सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य या लेनदार जिसने समामेलित स्कीम पर आक्षेप किया है समामेलन आदेश में उल्लिखित अवधि के भीतर यदि वह सदस्य हो तो अपने अंश या हित और यदि वह लेनदार हो तो अपनी प्राप्य राशियों की तुष्टि में राशि प्राप्त करने का हकदार होगा;

(iv) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश में ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक उपबन्ध किए जा सकते हैं जो रजिस्ट्रार की राय में समामेलन को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों।

***14 क. बीमार सोसाइटियों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध :–** (1) इस अधिनियिम में या इसके अधीन बनाये गये नियमों में या सम्बद्ध सोसाइटियों की उपविधियों में या तत्समय लागू किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां, रजिस्ट्रार की राय में कोई सहकारी सोसाइटी, जिसमें अंशों की बहुसंख्या सरकार द्वारा धारित की जाती है, बीमार है अथवा बीमार हो गई है; और उस सोसाइटी के पुनर्वास की कोई सम्भावना नहीं

है, तो रजिस्ट्रार सरकार और वित संस्था, यदि कोई हो, जिसकी ऐसी सहकारी सोसाइटी ऋणी है, से परामर्श करने के पश्चात् किसी अन्य सोसाइटी या किसी कम्पनी या किसी फर्म या निकाय को, चाहे वह निगमित हो या नहीं, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जो विहित रीति में बनाई जायें, आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण करने के लिए ऐसी विशिष्टियों से युक्त, लिखित नोटिस द्वारा, जो नोटिस में विहित की जायें, सम्बद्ध समिति को बुलायेगा, और ऐसे अन्तरण पर, उक्त बीमार सोसाइटी विघटित हो जायेगी।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस में, विनिर्दिष्ट सम भीतर, उक्त बीमार सोसाइटी, रजिस्ट्रार के निदेश का अनुपालन करने में असफल होती है तो, वह ऐसी बीमार सी सोसाइटी की समिति और उसके लेनदारों को, अपना प्रतिवेदन करने के लिये, यदि कोई हो, विहित रीति में उचित अवसर देने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी कार्रवाई करेगा, जो वह मामले के सम्बन्ध में उचित समझे, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट रीति में अपनी आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण करने का सोसाइटी को, निदेश जारी करना शामिल है:

परन्तु उपधारा (2) के अधीन कोई भी आदेश रजिस्ट्रार द्वारा तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक––

(क) लेनदारों/सदस्यों द्वारा दिये गये सभी सुझावों/आक्षेपों पर पूर्ण रूप से विचार न कर लिया गया हो; तथा

(ख) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम सहित, लेनदारों द्वारा प्रस्तुत किए गये सभी दावे पूर्ण रूप से पुनः भुगतान न कर दिये गये हों।

(3) सरकार इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने तथा रजिस्ट्रार को ऐसे निर्देश देने के लिए सक्षम होगी, जैसा वह उचित समझे।

व्याख्या– (1) ''बीमार सोसाइटी'' से अभिप्राय है, कोई सहकारी सोसाइटी जिसने पूर्ववर्ती तीन वित्त वर्षों में से किसी एक के अन्त में अपने सम्पूर्ण शुद्ध मूल्य के बराबर या उससे अधिक हानि उठाई है –

(i) ''शुद्ध मूल्य'' से अभिप्राय है, भुगतान की गई पूंजी तथा खुली आरक्षितियों की कुल राशि;

(ii) ''खुली आरक्षितियों'' से अभिप्राय है, लाभ तथा हानि लेखे में से निकाली गई सभी आरक्षितियां किन्तु इसमें आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन से निकाली गई तथा मूल्यह्रास उपबन्धों में वापस डाली गई आरक्षितियां शामिल नहीं हैं।

(2) ''अन्तरण'' से अभिप्राय है, विक्रय अथवा पट्टे द्वारा बीमार सोसाइटी की आस्तियों तथा दायित्वों का अन्तरण।

15. पंजीकरण प्रमाणपत्रों का रद्दकरण :– (1) जहां किसी सहकारी सोसाइटी की सभी आस्तियां और दायित्व धारा 13 और 14 के उपबन्धों के अनुसार किसी दूसरी सहकारी सोसाइटी को अन्तरित कर दिए जाते हैं, वहां पहली सहकारी सोसाइटी का पंजीकरण रद्द हो जायेगा और सोसाइटी विघटित समझी जायेगी।

(2) जहां धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के उपबन्धों के अनुसार एक या अधिक सहकारी सोसाइटियां किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के साथ समामेलित कर दी जाती हैं, वहां इस प्रकार समामेलित सहकारी सोसाइटी या सोसाइटियों का, जैसी भी स्थिति हो, पंजीकरण रद्द हो जायेगा और वे समामेलन–आदेश की तिथि को विघटित समझी जायेंगी और उसके सदस्य अन्य सहकारी सोसाइटी के सदस्य हो जायेंगे।

(3) जहां धारा 13 और 14 के उपबन्धों के अनुसार दो या अधिक सहकारी सोसाइटियों का समामेलन एक नई सहकारी सोसाइटी में किया जाता है, वहां नई सोसाइटी के पंजीकरण पर प्रत्येक समामेली सोसाइटी का पंजीकरण रद्द हो जायेगा और वह विघटित समझी जायेगी।

(4) जहां धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार कोई सहकारी सोसाइटी स्वयं को दो या अधिक सहकारी सोसाइटियों में विभाजित करती है, वहां नई सोसाइटियों के पंजीकरण पर उस सोसाइटी का पंजीकरण रद्द हो जायेगा और वह सोसाइटी विघटित समझी जाएगी।

(5) सहकारी सोसाइटियों का समामेलन और विभाजन, परिणत सहकारी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी अधिकार या बाध्यता को किसी भी रीति में प्रभावित नहीं करेगा या सहकारी सोसाइटी या सोसाइटियों द्वारा उनके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को त्रुटि–युक्त नहीं बनायेगा और कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियां, जो, यथास्थिति, सहकारी सोसाइटी या सोसाइटियों द्वारा या उनके विरुद्ध समामेलन या विभाजन के पूर्व चालू रखी गई हों या प्रारम्भ की गई हों, परिणत सहकारी सोसाइटी या सोसाइटियों द्वारा उनके विरुद्ध चालू रखी या प्रारम्भ की जा सकेगी।

अध्याय – III

सदस्यों के अधिकार तथा दायित्व

16. व्यक्ति जो सदस्य बन सकते है :– किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों के सिवाय किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया जायेगा, अर्थात्:–

(क) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9)की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति;

(ख) कोई अन्य सहकारी सोसाइटी *[ ]

(ग) सरकार *[; और]

*(घ) सोसाइटी की उपविधियों में यथा उपबंधित ऐसे वर्ग या वर्गों के व्यक्ति या व्यक्तियों के संगम, निगमित निकाय, फर्म या संयुक्त स्टाक कंपनियों:

परन्तु किसी सहकारी उधार तथा सेवा सोसाइटी, किसान सेवा सोसाइटी अथवा प्राथमिक कृषि विकास बैंक के सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति, सोसाइटी के कार्यालय में ऐसे सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन–पत्र की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन की समाप्ति पर उसके सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार, स्वयं या सम्बद्ध सोसाइटी की समिति द्वारा या किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर, इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, ऐसी सदस्यता के लिए सम्मिलित समझे गए व्यक्ति को हटाने के लिए आदेश कर सकता है यदि, रजिस्ट्रार द्वारा लिखे जाने वाले कारणों से, वह ऐसी सोसाइटी का सदस्य बनने का पात्र नहीं है और सोसाइटी की समिति या किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत की दशा में, ऐसा प्रत्येक आदेश शिकायत की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर किया जायेगा।

17. व्यक्तिक सदस्यता के लिये निबन्धन :– कोई भी व्यक्ति किसी केन्द्रीय या शिखर सोसाइटी, *[जब तक ऐसी सोसाइटी को किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा छूट न दे दी गई हो,] के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

18. सह–सदस्य :– (1) कोई सहकारी सोसाइटी किसी व्यक्ति को *[या स्वतः सहायता समूह को] या किसी सहकारी सोसाइटी को या किसी अन्य कानूनी निकाय को, जो सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचित किया जाये, अपनी उपविधियों के अनुसार सह–सदस्य के रूप में सम्मिलित कर सकती है।

**व्याख्या,* – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, '' स्वतः सहायता समूह'' से अभिप्राय है तथा जिसके अर्न्तगत अपने आर्थिक विकास के लिये व्यक्तियों का समूह।

(2) कोई सह–सदस्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों या लाभ के किसी भी अंश का किसी भी रूप में हकदार नहीं होगा।

(3) इस अधिनियम में यथा–उपबन्धित के सिवाय, किसी सह–सदस्य को सदस्य के ऐसे विशेषाधिकार और अधिकार होंगे, और वह सदस्य के ऐसे दायित्वों के अध्यधीन होगा, जो सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

19. सदस्यों द्वारा अधिकारों का प्रयोग तब तक न किया जाना, जब तक देय राशि का भुगतान न कर दिया गया हो :– किसी सहकारी सोसाइटी का कोई भी सदस्य, सदस्यता के अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं करेगा, जब तक उसने सदस्यता के बारे में सोसाइटी को ऐसे भुगतान नहीं कर दिए हैं या सोसाइटी में ऐसा हित अर्जित नहीं कर लिया है, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

****19 ''क. मताधिकार :–** सहकारी बैंकों से भिन्न सहकारी उधार संरचना की किसी इकाई में जमा करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, उस सोसाइटी का सदस्य बनेगा तथा ऐसे रूप में प्रवेश पर, वह पूर्ण सदस्यता मताधिकार का हकदार होगा''।

20. सदस्यों का मत :– किसी सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का उस सोसाइटी के कार्यकलाप के सम्बन्ध में एक मत होगा : परन्तु–

(क) मत बराबर होने की दशा में, सभापति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा;

(ख) किसी सह–सदस्य को मताधिकार नहीं होगा;

(ग) जहां सरकार किसी सहकारी सोसाइटी की सदस्य है, वहां सरकार द्वारा समिति में नामनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होगा;

(घ) कोई सदस्य जो किसी सोसाइटी को उसके द्वारा देय किसी राशि के सम्बन्ध में व्यतिक्रमी है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा;

व्याख्या – इस खण्ड के प्रयोजन के लिए ''सदस्य'' पद के अन्तर्गत सोसाइटी नहीं है।

(ड.) परिसमापन की प्रक्रिया के अधीन या समापन में लाई गई कोई सोसाइटी, अपने मताधिकार का प्रयोग करने की पात्र नहीं होगी।

21. मत देने की रीति :– किसी सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य अपना मत स्वयं देगा और किसी भी सदस्य को परोक्षी द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

परन्तु–

(क) कोई सहकारी सोसाइटी, जो किसी अन्य सहकारी सोसोइटी की सदस्य है, नियमों के अधीन रहते हुए अन्य सोसाइटी के कार्यकलाप के सम्बन्ध में अपनी ओर से मत देने के लिए अपने समिति सदस्यों में से किसी एक को अपनी समिति के संकल्प के माध्यम से नियुक्त कर सकती है;

(ख) प्राथमिक सोसाइटी की दशा में जो किसी अन्य सहकारी सोसोइटी की सदस्य है, वह नियमों के अधीन रहते हुए, अन्य सोसाइटी के कार्यकलाप के सम्बन्ध में अपनी ओर से मत देने के लिए अपने सदस्यों में से एक को नियुक्त कर सकती है।

22. अंशों या हित के अन्तरण पर निर्बन्धन :– किसी सहकारी सोसाइटी की पूंजी में किसी सदस्य के अंश या हित का अन्तरण धारा 6 में विनिर्दिष्ट की गई अधिकतम भारण सम्बन्धी शर्तों के अधीन रहते हुए होगा :

***परन्तु कोई भी अन्तरण तब तक अनुज्ञात नहीं होगा जब तक सदस्य द्वारा ऐसे शेयर कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए धारित नहीं किए गए हों।

व्याख्या– इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''पूंजी'' शब्द में, सोसाइटी निधि में सदस्यों की व्यक्तिगत हैसियत में उनके स्वामित्वाधीन पूंजी निर्दिष्ट है।

23. सदस्य की मृत्यु पर हित का अन्तरण :– (1) किसी सदस्य की मृत्यु पर, कोई सहकारी सोसाइटी मृत सदस्य का अंश या हित इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को, या यदि कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को जो समिति को मृत सदस्य का वारिस या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो, अन्तरित कर सकती है या, यथास्थिति, ऐसे नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को नियमों या उपविधियों के अनुसार यथा–निश्चित ऐसे सदस्य के अंश या हित के मूल्य के बराबर राशि दे सकती है:

परन्तु–

(i) अपरिसीमित दायित्व वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, यथा स्थिति, ऐसा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि, सोसाइटी से मृत सदस्य के अंश या हित के यथापूर्वोक्त निश्चित मूल्य के भुगतान की अपेक्षा कर सकता है;

(ii) परिसीमित दायित्व वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, सोसाइटी मृत सदस्य के अंश या हित को, यथास्थिति, ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को जो नियमों और उपविधियों के अनुसार सोसाइटी की सदस्यता के लिए अर्हित हो या मृत सदस्य की मृत्यु के एक मास के भीतर उसके द्वारा किये गये आवेदन पर, आवेदन में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को, जो ऐसे अर्हित है, अन्तरित करेगी;

(iii) ऐसा कोई भी अन्तरण या भुगतान, यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि की सम्मति के बिना नहीं किया जायेगा।

(2) कोई सहकारी सोसाइटी धारा 52 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये और जब तक सदस्य की मृत्यु से छह मास के भीतर किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा निवारित न हो, यथास्थिति, ऐसे नामनिर्दिष्टि व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को सोसाइटी से मृत सदस्य को देय सभी अन्य धन राशियों का भुगतान करेगी।

(3) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अन्तरण और भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सोसाइटी पर की गई किसी मांग के प्रति विधिमान्य और प्रभावकारी होंगे।

24. भूतपूर्व सदस्य का और मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व :– (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी सहकारी सोसाइटी के भूतपूर्व सदस्य का या मृत सदस्य की सम्पदा का सोसाइटी के ऋणों के लिए दायित्व, जैसे वे –

(क) किसी भूतपूर्व सदस्य की दशा में, उस तिथि को, जिसको उसकी सदस्यता समाप्त हो गई;

(ख) किसी मृत सदस्य की दशा में, उसकी मृत्यु की तिथि को, विद्यमान थे, ऐसी तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये बना रहेगा।

(2) जहां धारा 105 के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन के लिए आदेश किया जाता है, वहां किसी ऐसे भूतपूर्व सदस्य का या किसी मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व जो परिसमापन–आदेश की तिथि से तुरन्त पहले दो वर्ष के अंदर सदस्य नहीं रहा या मर गया, तब तक बना रहेगा, जब तक सम्पूर्ण समापन कार्यवाहियां पूरी नहीं हो जाती, किन्तु ऐसा दायित्व सोसाइटी के ऐसे ऋणों तक ही सीमित होगा, जैसे वे, यथास्थिति, उसकी सदस्यता की समाप्ति या उसकी मृत्यु की तिथि को विद्यमान थे।

अध्याय VI

सहकारी सोसाइटियों का प्रबन्ध

25. अन्तिम प्राधिकार तथा उसके अधिवेशन :– (1) किसी सहकारी सोसाइटी का अन्तिम प्राधिकार सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगा :

परन्तु जहां किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियां किसी ऐसे लघुतर निकाय के गठन का उपबन्ध करती हैं, जो सोसाइटी के सदस्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने, जिनका निर्वाचन या चयन ऐसी उपविधियों के अनुसार किया गया हो, वहां लघुतर निकाय साधारण निकाय की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाएं, या जो सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जायें।

(2) धारा 21 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक प्रतिनिधि का सोसाइटी के कार्यकलाप के सम्बन्ध में एक मत होगा।

(3) किसी सहकारी सोसाइटी का साधारण अधिवेशन "वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास की अवधि के भीतर" निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जायेगाः–

(क) आगामी वर्ष के लिए समिति द्वारा तैयार किये गये सोसाइटी के कार्यकलापों के कार्यक्रम का अनुमोदन;

(ख) लेखा–परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार;

*(ग) पूववर्ती वर्ष के कार्य की समीक्षा;

*(घ) व्यतिक्रम की राशि के साथ व्यतिक्रमियों की सूची सहित सोसाइटी के कार्य–कलापों की स्थिति की समीक्षा;

(ड.) विशिष्ट संचय निधियों तथा अन्य निधियों का सृजन तथा उनका उपयोग;

(च) कर्मचारी, जो सोसाइटी के पदाधिकारियों के नातेदार हैं, की सूची पर विचार करना;

(छ) प्रबन्धक समिति के निर्वाचन, जब देय हों, करवाने;

(ज) उप–विधियों में संशोधन करने;

(जक) "राज्य सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए पैनल से लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षण फर्म की नियुक्ति;"।

(झ) उपविधियों के अनुसार किसी अन्य मामले पर विचार करनेः

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन सोसाइटी की समिति या किसी पदाधिकारी को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

26. अधिवेशन बुलाना :– (1) कोई सहकारी सोसाइटी समय–समय पर किसी सोसाइटी का साधारण अधिवेशन या समिति–अधिवेशन बुला सकती है और वह ऐसे अधिवेशन रजिस्ट्रार या ऐसे सदस्य या सदस्यों या सदस्यों की कुल संख्या के ऐसे अनुपात द्वारा जो साधारण अधिवेशन की दशा में उपविधियों द्वारा उपबन्धित हों या समिति के ऐसे सदस्यों द्वारा जो उपविधियों में विहित किया जाये, लिखित अपेक्षा की प्राप्ति के पश्चात् एक महीने के भीतर बुलायेगा।

(2) यदि किसी सहकारी सोसाइटी का कोई साधारण अधिवेशन या समिति अधिवेशन उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपेक्षा के अनुसार नहीं बुलाया जाता तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसा अधिवेशन बुलाने की शक्ति होगी।

*(3) यदि साधारण निकाय का अधिवेशन धारा 25 की उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं बुलाया जाता है या इस धारा की उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रार सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसी समिति के सदस्यों के रूप में बने रहने के लिए तथा किसी सोसाइटी की समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए, समिति के सदस्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित करेगा; तथा यदि सोसाइटी के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है, तो रजिस्ट्रार उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर दस हजार रुपए से अनधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकता है।

****27. संकल्पों का विखण्डन :–** (1) रजिस्ट्रार लिखित आदेश द्वारा, किसी सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति या उपसमिति के

किसी संकल्प को निलम्बित कर सकता है यदि उसकी राय में संकल्प इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों द्वारा प्रदान की गई शक्तियों से बाहर है या संकल्प का निष्पादन, सोसाइटी के हित या उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल होगा या उससे सोसाइटी की निधियों का दुर्व्यय या नुकसान होने की संभावना है :

***परन्तु ऐसा निलम्बन छः मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।

(2) जब रजिस्ट्रार उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करता है तो वह समिति या उपसमिति को, जैसी भी स्थिति हो, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे संकल्प को विखण्डित कर सकता है या आदेश कर सकता है कि ऐसा संकल्प उपान्तरण सहित या उसके बिना स्थाई रूप से या किसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, लागू रह सकता है:

परन्तु ऐसा संकल्प विखण्डित या उपान्तरित किया जा सकता है, चाहे उस पर कारवाई किए जाने के कारण भी उसे निलम्बित न किया जा सकता हो:

***परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई भी ऐसी कार्यवाहियां संकल्प के पारित होने की तिथि से छह वर्ष की अवधि के बाद शुरु नहीं की जाएंगी। तथापि, किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के सम्मुख इस धारा के अधीन लम्बित कार्यवाहियां इस प्रकार जारी रहेंगी मानो हरियाणा सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2006, के उपबन्ध पारित नहीं किए गए थे।

28. समितियों का निर्वाचन और कार्यकाल :– (1) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति के सदस्यों का निर्वाचन विहित रीति में किया जाएगा और काई भी व्यक्ति जब तक वह सोसाइटी का सदस्य नहीं है इस प्रकार निर्वाचित नहीं किया जाएगाः

****परन्तु अनुसूचित जाति से सम्बन्धित कम से कम एक सदस्य तथा **"दो महिला सदस्य**" विहित रीति में सहकारी सोसाइटी की प्रत्येक समिति में निर्वाचन के माध्यम से भी प्रतिनिधित्व करेगा/करेगी :

परन्तु यह और कि पिछड़ी जाति से सम्बन्धित कम से कम एक सदस्य यदि उनकी संख्या सोसाइटी की कुल सदस्यता के दस प्रतिशत या इससे अधिक है तो विहित रीति में समिति में निर्वाचन के माध्यम से भी प्रतिनिधित्व करेगा।

(1क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विहित सहकारी सोसाइटी की निर्वाचन नामावली को तैयार करने तथा सभी निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण के लिये निर्वाचन प्राधिकरण का गठन कर सकती है:

परन्तु जिस समय तक ऐसा प्राधिकरण गठित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी सोसाइटी का निर्वाचन रजिस्ट्रार या ऐसी सोसाइटी की विद्यमान समिति द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा संचालित करवाया जाएगा।"

(2) एक बार निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर स्थगित नहीं की जाएगी और यदि निर्वाचन से सम्बन्धित कोई विवाद हो तो वह केवल निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ही ग्रहण किया जाएगा।

व्याख्या– निवार्चन प्रक्रिया **निर्वाचन प्राधिकारी** द्वारा निर्वाचन की तिथि निश्चित करने के आदेश के साथ आरम्भ हुई समझी जाएगी।

*(3) प्रत्येक सोसाइटी की समिति, इसकी समिति की अवधि की समाप्ति से पूर्व, इसकी उप–विधियों के अनुसार समिति के निर्वाचन के लिए व्यवस्था करेगी, जिसके असफल रहने पर, रजिस्ट्रार सोसाइटी की लागत पर समिति की अवधि की समाप्ति के बाद, नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसे निर्वाचन करवाने की व्यवस्था करेगा तथा पदावरोही समिति के निर्वाचित सदस्य, पदावरोही समिति की अवधि की समाप्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी सहकारी सोसाइटी की समिति के निर्वाचन लड़ने से वंचित किए जाएंगेः

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश रजिस्ट्रार द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) समिति, जब तक रजिस्ट्रार द्वारा पहले ही अधिक्रांत न कर दी गई हो, निर्वाचन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगी, तथा पदधारियों की अवधि समिति की अवधि के समान सहविस्तारी होगी :

परन्तु उपविधियों में दी गई किसी बात के होते हुये भी, समिति समिति में, यदि समिति की पदावधि इसकी मूल अवधि के आधे से अधिक है, निर्वाचन द्वारा या यदि समिति की पदावधि इसकी मूल अवधि के आधे से कम है, सदस्यों जिनके सम्बन्ध में आकस्मिक रिक्ति हुई है, के उसी वर्ग में से सहयोजन द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, समिति में आकस्मिक रिक्ति भर सकती है।"।

(5) किसी सहकारी चीनी मिल की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, वे सदस्य जो मिल के कर्मचारी हैं, उसकी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए पृथक क्षेत्र गठित करेंगे। यदि किसी दशा में किसी भी सदस्य का निर्वाचन नहीं होता तो समिति के सदस्य ऐसा एक सदस्य सहयोजित करेंगे। यदि समिति के सदस्य के रूप में कोई भी सदस्य निर्वाचित न हो या सहयोजित न किया जाए, तो रजिस्ट्रार ऐसे एक सदस्य को समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकता है।

(6) कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय दो प्राथमिक सोसाइटियों, एक केन्द्रीय और एक शिखर सोसाइटी से अधिक की समिति का सदस्य नहीं होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को या किसी शिखर अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की समिति के किसी ऐसे सदस्य को लागू नहीं होगी, जिसे किसी अन्य शिखर या केन्द्रीय सोसाइटी, जैसी भी स्थिति हो, की समिति की सेवा करने के लिए उनकी उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार नामनिर्दिष्ट किया गया है।

29. "समिति में नामनिर्देशन और सहयोजन" ***[ ] (1) धारा 28 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी–

(क) जहां सरकार ने कम से कम एक लाख रुपए तक,–

(i) किसी सहकारी सोसाइटी की अंश पूंजी में अभिदाय किया है; या

(ii) सोसाइटी द्वारा जारी किए गए डिबैन्चरों की बाबत मूलधन तथा ब्याज की गारंटी दी है; या

(iii) सोसाइटी के कर्जों और अग्रिम धनों की बाबत मूलधन और ब्याज की गारंटी दी है; या

(iv) सोसाइटी की कर्जों तथा अनुदानों से सहायता की है :

वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, ऐसी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति में अधिक से अधिक तीन सदस्य या ऐसी समिति के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का एक–तिहाई, इनमें जो भी कम हो, नाम–निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा जहां निवेश एक लाख रूपये से कम नहीं ।

*** परन्तु चाहे सरकार ने शेयर पूंजी में अंशदान किया है या नहीं के तथ्य को विचार में लाए बिना प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी की समिति में सरकार का कोई नामनिर्देशिती नहीं होगा;

(ख) जहां औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम या सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी अन्य वित्तद संस्था या नियोजक ने सहकारी सोसाइटी के लिये वित्त की व्यवस्था की है, वहां औद्योगिक निगम, राज्य वित्त निगम या वित्तद–संस्था या नियोजक को, जैसी भी स्थिति हो, समिति में एक व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगाः

***परन्तु सहकारी उधार संरचना के मामले में सरकार द्वारा शेयर पूजी अंशदान संदत्त शेयर पूंजी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा नामांकन केवल एक सदस्य तक सीमित होगा :

(लोप कर दिया है)

(2) उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा, जिसने उसे नामनिर्दिष्ट किया था।

(3) जहां सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य या धारा 31 के अधीन नियुक्त प्रबन्ध निदेशक और उसके अन्य सदस्यों के बीच किसी विषय के बारे मतभेद हो जाता है, वहां वह विषय सोसाइटी द्वारा सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर निश्चय अन्तिम होगा और यह समिति द्वारा किया गया निश्चय समझा जाएगा।

(4) सहकारी बैंको से भिन्न सहकारी सोसाइटियों के मामले में, बैकिंग प्रबन्धन, वित के क्षेत्र में अनुभव अथवा सहकारी सोसाइटियों द्वारा वचनबद्ध उद्देश्यों तथा कार्यकलापों से सम्बनिधत किसी अन्य क्षेत्र में विशिष्टिकरण रखने वाले व्यक्ति, ऐसी सोसाइटी के सदस्यों के रूप में सहयोजित होंगे :

परन्तु सहकारी बैंक के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अनुभव रखने वाले दो व्यवसायिक निदेशक, यदि पहले निर्वाचित न हो, समिति में सहयोजित किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि कृत्यकारी निदेशकों के रूप में पुकारे जाने वाले ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या धारा 9क की उप–धारा (2) के खण्ड (XX) में यथाविनिर्दिष्ट इक्कीस निदेशकों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होगी तथा ये सदस्य होंगे किन्तु किसी निर्वाचन में मत का अधिकार नहीं रखेंगे या समिति के पदधारियों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।"

30. पदाधिकारियों का निर्वाचन :– किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में, किसी बात के होते हुए भी, समिति के सदस्य जिनमें धारा 29 के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य भी हैं, अपने में से, समिति के सदस्यों के निर्वाचन की तिथि से साठ दिन के भीतर, पदाधिकारियों का निर्वाचन करेंगे। ऐसे निर्वाचन के लिए अधिवेशन, **निर्वाचन पदाधिकारी** द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा और वह उसकी अध्यक्षता करेगा :

परन्तु, यदि उक्त समिति में धारा 29 के अधीन कोई भी व्यक्ति नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाता तो, पदाधिकारियों का निर्वाचन स्थगित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि प्राथमिक, केन्द्रीय तथा शिखर दुग्ध उत्पादक सोसाइटियों के पदाधिकारियों का निर्वाचन उनकी उपविधियों के अनुसार संचालित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां सरकार ने किसी शिखर सहकारी सोसाइटी या सहकारी चीनी मिल की अंश–पूजीं में दस लाख रुपए या इससे अधिक का अभिदाय किया है, वहां सरकार, सोसाइटी की उपविधियों में किसी बात के होते भी, धारा 29 के अधीन नाम–निर्दिष्ट सदस्यों में से एक को ऐसी सोसाइटी की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है।

परन्तु यह और कि समिति का कोई भी सदस्य किसी सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या बाद में या भागतः पहले या भागतः बाद में दस वर्ष की निरन्तर अवधि के लिए इस रूप में सेवा कर चुका है, जब तक कि उसके पिछली बार इस प्रकार सेवा कर चुकने से लेकर कम से कम पांच वर्ष की अवधि न बीत चुकी हो।

** **30 क. अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव :** – समिति के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित पदाधिकारियों अर्थात् सरकारी नामनिर्देशितियों से भिन्न ऐसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। यदि, ऐसे प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में सम्बद्ध सोसाइटी के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष इस रूप में तुरन्त प्रभाव से कृत्य करना समाप्त कर देगा और नए पदाधिकारियों का निर्वाचन अधिनियम की धारा 30 के अनुसार हटाए जाने के दो मास के भीतर करवाया जाएगा :

परन्तु ऐसी कोई भी बैठक उस तिथि से जिसको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, का निर्वाचन अधिसूचित किया गया था, एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व नहीं बुलाई जाएगी तथा आगे कोई भी बैठक तत्पश्चात् किसी भी समय, ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध उसी प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक कि अन्तिम असफलता तथा वह तिथि जिसको आगे ऐसी बैठक बुलाई जाती है, के बीच एक वर्ष की अवधि का अन्तर नहीं हो जाता।

31. प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति, शक्तियां और कृत्य :– (1) जहां सरकार ने किसी सहकारी सोसाइटी की अंश–पूंजी में दस लाख रुपए या इससे अधिक का अभिदाय किया है, वहां सरकार सोसाइटी की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, धारा 29 के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त एक अन्य सदस्य का नामनिर्दिष्ट कर सकती है और उसे प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकती है :

परन्तु कोई भी व्यक्ति सहकारी सोसाइटी के प्रबन्ध निदेशक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह भारतीय प्रशासनिक सेवा या हरियाणा सिविल सेवा (कार्यपालक शाखा) का सदस्य न हो या सहकारिता विभाग, हरियाणा, की श्रेणी I या II का अधिकारी ***[या यथा विहित योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाला कोई अन्य व्यावसायिक] नहीं हैं, सिवाय हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण परिसंघ

लिमिटेड, हरियाणा आवासन शिखर वित्त सोसाइटी लिमिटेड तथा हरियाणा सहकारी डेरी विकास परिसंघ लिमिटेड, के जहा तकनीकी व्यक्ति प्रबन्ध निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं:

*परन्तु यह और कि सहकारी बैंक की दशा में, प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन के अनुसार की जाएगी तथा ऐसा प्रबन्ध निदेशक जो रिजर्व बैंक द्वारा नियत मानदण्ड पूरा नहीं करता हैं, को हटा दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रबन्ध–निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे उपविधियों द्वारा सौंपी जाए या समिति द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं। वह उपविधियों से संगत ऐसे कृत्यों का भी निर्वहन करेगा, जो उसे सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा सौंपे जाएं। वह समिति के अधीक्षण तथा नियन्त्रण के अधीन कार्य करेगा।

(3) किसी सहकारी सोसाइटी का प्रबन्ध–निदेशक इसका प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा। सोसाइटी के सभी कर्मचारी उसके अधीक्षण तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

32. प्रथम समिति का गठन :– इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाए गए नियमों में या किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, किसी नई पंजीकृत सोसाइटी की प्रथम समिति उन संप्रवर्तक सदस्यों द्वारा निर्वाचित की जाएगी, जो पंजीकरण के लिए आवेदन में अन्तर्विष्ट हैं। उक्त समिति का कार्यकाल पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

33. कतिपय दशाओं में रजिस्ट्रार की प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति :– (1) जहां कोई सहकारी सोसाइटी, इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों, सोसाइटी की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार समिति अस्तित्व में नहीं है या अस्तित्वहीन हो गई है, तो रजिस्ट्रार अधिनियम, नियमों, या उपविधियों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, अधिनियम की धारा 34 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट या धारा 28 के अधीन समिति गठित किये जाने तक, जो भी पहले हो, छह मास या एक वर्ष की अवधि के लिये, जैसी भी स्थिति हो, पाँच से अनधिक प्रशासक नियुक्त कर सकता है :

परन्तु धारा 31 के अधीन नियुक्त किया गया प्रबन्ध–निदेशक, यदि कोई हो, प्रशासकों में से एक होगा :

परन्तु यह और कि निर्वाचन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 34 में यथा विनिर्दिष्ट, छह मास या एक वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, की अवधि के भीतर निर्वाचन करवाएगा।"; तथा

(2) यदि इस प्रकार नियुक्त प्रशासकों की संख्या पांच से कम हो तो रजिस्ट्रार समय–समय पर प्रशासक या प्रशासकों की संख्या में वृद्धि कर सकता है।

(3) रजिस्ट्रार, प्रशासकों के लिए पारिश्रमिक नियत कर सकता है जो वह उचित समझे। ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान सोसाइटी की निधियों में से किया जाएगा।

(3क – लोप कर दिया है)

(4) प्रशासक को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण तथा ऐसे अनुदेशों के अधीन रहते हुए जो वह समय–समय पर दे, समिति या सोसाइटी के किसी अधिकारी के कृत्यों में से सभी या किसी का प्रयोग करने की तथा ऐसी सभी कार्रवाईयां करने की, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हों, शक्ति होगी।

34. समिति का अधिक्रमण तथा निलम्बन :– "(1) यदि रजिस्ट्रार की राय में किसी सहकारी सोसाइटी की समिति,–

(i) लगातार चूक कर रही है ; अथवा

(ii) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों या उपविधियों के अधीन इस पर अधिरोपित इसके कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह है; अथवा

(iii) कोई कार्य किया है, जो सोसाइटी अथवा इसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल है ; अथवा

(iv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचनों के संचालन में असफल हो गई है ; अथवा

(v) समिति के गठन या कृत्यों में गतिरोध किया है ; अथवा

रजिस्ट्रार, समिति को इसके आक्षेप, यदि कोई हों, अभिव्यक्त करने का अवसर देने के बाद, तथा आक्षेप यदि प्राप्त हुये हों पर विचार करके लिखित में आदेश द्वारा, समिति को अधिक्रांत कर सकता है तथा समिति के नए सिरे से निर्वाचन के आदेश कर सकता है या सोसाइटी के कार्यक्लापों का प्रबन्ध करने के लिये छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए तथा बैंकिग का कारोबार करने वाली सहकारी सोसाइटी के मामले में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी की समिति अधिक्रांत नहीं की जाएगी या निलम्बनाधीन नहीं रखी जाएगी जहां सरकार द्वारा सरकारी हिस्सेदारी या ऋण या वित्तिय सहायता या कोई गारन्टी नहीं है :

परन्तु यह और कि यदि सहकारी बैंक की समिति अधिक्रांत की जाती है, तो रजिस्ट्रार, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से ऐसा करेगा :

परन्तु यह और कि बैंकिग का कारबार करने वाली सहकारी सोसाइटी की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबन्द भी लागू होंगे :

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सहकारी बैंक या हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड की प्रबन्धन समिति के अधिक्रमण सहित रिजर्व बैंक के विनियामक आदेशों के कार्यान्वयन तथा रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार दिये गये परामर्श के एक मास के भीतर प्रशासकों की नियुक्ति को सुनिश्चित करेगा।" ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होते समय रजिस्ट्रार की यह राय है कि कार्यवाहियों की अवधि के दौरान समिति का निलम्बन सहकारी सोसाइटी के हित में आवश्यक है, वहां वह समिति को निलम्बित कर सकता है और कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक ऐसी व्यवस्था कर सकता है, जो वह सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिए उचित समझता है :

परन्तु यदि इस प्रकार निलम्बित समिति को हटाया नहीं जाता तो वह पुनः प्रतिष्ठापित की जाएगी और निलम्बन की अवधि उसके कार्यकाल में गिनी जाएगीः

परन्तु यह और कि निलम्बन की अवधि छः मास से अधिक नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार समिति के निर्वाचन के लिये व्यवस्था करेगा, जिसके न कराए जाने पर रजिस्ट्रार निर्वाचन कराने के लिए व्यवस्था करेगा।

(4) किसी सहकारी सोसाइटी के बारे में उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व, रजिस्ट्रार उस वित्तद संस्था से परामर्श कर सकता है, जिसकी वह ऋणी है।

35. समिति सदस्य का हटाया जाना :–(1) यदि रजिस्ट्रार की राय में कोई सदस्य इस अधिनियम या नियमों अथवा उपविधियों द्वारा उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों के पालन में बार–बार व्यतिक्रम या उपेक्षा करता है या कोई ऐसा कार्य करता है, जो सोसाइटी या उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल है, तो रजिस्ट्रार सदस्य को अपने आक्षेपों, यदि कोई हों, का विवरण देने का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा सदस्य को हटा सकता है और पदावरोही सदस्य की शेष अवधि के लिए रिक्ति की पूर्ति, इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार करा सकता है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होते समय रजिस्ट्रार की यह राय है कि कार्यवाहियों की अवधि के दौरान सदस्य का निलम्बन सहकारी सोसाइटी के हित में आवश्यक है, वहां वह सदस्य को निलम्बित कर सकता है :

परन्तु यदि इस प्रकार निलम्बित सदस्य हटाया नहीं जाता तो वह पुनः प्रतिष्ठापित किया जाएगा और निलम्बन की अवधि उसके कार्यकाल में गिनी जाएगीः

परन्तु यह और कि निलम्बन की अवधि छह मास से अधिक नहीं होगी।

(3) कोई सदस्य, जो उपधारा (1) के अधीन हटाया जाता है, पांच वर्ष से अनधिक किसी ऐसी अवधि के लिए, जो रजिस्ट्रार नियत करे, किसी समिति में निर्वाचित किए जाने के लिए निरर्हित किया जाएगा और उक्त अवधि आदेश करने की तिथि से प्रारम्भ होगी।

*(4) रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक के अनुरोध पर रजिस्ट्रार समिति के ऐसे सदस्यों को हटाएगा जो रिजर्व बैंक द्वारा नियत मानदण्ड पूरा नहीं करते हैं।

36. सहकारी सोसाइटियों के कार्यों का कतिपय त्रुटियों के कारण अविधिमान्य न होना :– किसी सहकारी समिति या किसी समिति या किसी अधिकारी का कोई कार्य, केवल प्रक्रिया में या सोसाइटी या समिति के गठन में या उसकी सदस्यता या पद की किसी रिक्ति में या किसी अधिकारी की नियुक्ति या निर्वाचन में कोई त्रुटि विद्यमान होने के कारण या इस आधार पर ही, कि ऐसा अधिकारी अपनी नियुक्ति या निर्वाचन के लिए निरर्हित था, अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।

****36क. सहकारी संघ के कृत्य :–** (1) इस अधिनियम तथा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सहकारी

संघ स्वतः सहायता तथा पारस्परिक सहायता के आधार पर सहकारी संघ या सहकारी के रूप में सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक रचना तथा लोकतांत्रिक कृत्यों को सुकर बनाने के लिए कृत्यों का निर्वहन कर सकती है।

(2) उपधारा (1) में अतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सहकारी संघ निम्नलिखित कर सकता है–

(क) सहकारी सिद्धातों की अनुपालना को सुनिश्चित करना;

(ख) इसके सहकारी सदस्य के विचारण के लिए आदर्श उप–विधियां तथा नीतियां बनाना ;

(ग) विशिष्ट प्रशिक्षण, शिक्षा तथा डाटा–बेस सूचना उपलब्ध करवाना;

(घ) इसके सहकारी सदस्य के लिए परिप्रेक्ष्य विकास योजना को तैयार करने में अनुसंधान, मूल्यांकन तथा सहायता का वचन देना ;

(ड.) सहकारी सदस्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना;

(च) उनके बीच विवादों को निपटाने के लिए सहकारी सदस्यों की सहायता करना;

(छ) इसके सहकारी सदस्य की ओर से कारबार सेवाओं का वचन देना, यदि विशेष रूप से, सहकारी सदस्य के साधारण निकाय या बोर्ड या उप–विधियों के संकल्प के द्वारा या के अधीन अपेक्षित है ;

(ज) सहकारी सदस्य को प्रबन्धन विकास सेवाएं उपलब्ध करवाना ;

(झ) सहकारी सदस्य द्वारा अनुपालन के लिए आचार संहिता तैयार करना ;

(ञ) सहकारी सदस्य के लिए जीवन क्षमता मानक तैयार करना;

(ट) सहकारी सदस्य को विधिक सहायता तथा परामर्श देना;

(ठ) स्वतः सहायता सुव्यवस्थित करने में सहकारी सदस्य की सहायता करना;

(ड) बाजार सूचना प्रणाली, लोगो ब्रांड प्रोत्साहन, क्वालिटी नियंत्रण का विकास करना तथा प्रौद्योगिकी को उन्नत करना।

अध्याय – V

सामान्य संवर्ग का गठन

37. सामान्य संवर्ग का गठन :–(1) रजिस्ट्रार किसी शिखर सोसाइटी से, उस सोसाइटी की सेवा के अथवा उन केन्द्रीय सोसाइटियों की सेवा के जो शिखर, सोसाइटी की सदस्य हैं अथवा उन प्राथमिक की या पूर्वोक्त केन्द्रीय सोसाइटियों की सदस्य हैं, सभी कर्मचारियों या कर्मचारियों की विशेष श्रेणी का सामान्य संवर्ग गठित करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन सामान्य संवर्ग गठित किया जाता है तो रजिस्ट्रार संवर्ग सोसाइटी के परामर्श से ऐसे कर्मचारियों की भर्ती, सेवा की शर्तों और उनकी संख्या को विनियमित करने के लिये नियम बना सकता है :

परन्तु रजिस्ट्रार संवर्ग सोसाइटी के परामर्श से कर्मचारियों की किसी श्रेणी को सामान्य संवर्ग में मिला या उससे हटा सकता है।

*(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सहकारी उधार संरचना में कोई संवर्ग पद्धति नहीं होगी।

*(4) रजिस्ट्रार कर्मचारिवृंद की कार्मिक नीति, अमला संख्या, भर्ती, तैनाती तथा प्रतिकर से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से मार्गदर्शन प्रचारित करेगा।

38. संवर्ग सोसाइटी का वार्षिक पुनर्विलोकन :– (1) प्रत्येक संवर्ग सोसाइटी अपने और अपनी सदस्य सोसाइटियों के कार्यकरण का वार्षिक पुनर्विलोकन रजिस्ट्रार को सहकारी वर्ष की समाप्ति से छः मास के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा यथा विहित विनिर्दिष्ट प्ररुप में प्रस्तुत करेगी।

(2) रजिस्ट्रार संवर्ग सोसाइटी या उसकी सदस्य सोसाइटियों के कुशल कार्य–संचालन के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

अध्याय– VI

सहकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार

39. सहकारी सोसाइटियों का निगमित निकाय होना :– इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी सोसाइटी उसी नाम से निगमित निकाय होगी जिससे वह पंजीकृत हैं, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उसे सम्पति धारण करने, संविदा करने, वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने तथा प्रतिवाद करने और उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए उसका गठन किया गया है, सभी

आवश्यक बातें करने की शक्ति होगी।

40. सदस्यों की पंजी :– किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा रखी गई सदस्यों की पंजी अथवा सूची, उसमें दर्ज निम्नलिखित विशिष्टियों में से किन्हीं का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी, अर्थात्:–

(क) तिथि, जिसको कोई व्यक्ति सदस्य बना;

(ख) तिथि, जिसको ऐसा, कोई सदस्य नहीं रहा;

(ग) ऐसे सदस्य द्वारा धारित अंशों की संख्या तथा तिथि जिससे उसने इस प्रकार अंश धारित किए; *[तथा]

*(घ) सदस्य के नामनिर्देशिती, यदि कोई हों :

परन्तु प्राथमिक सोसाइटी में सदस्य के रूप में दर्ज किया गया प्रत्येक व्यक्ति सोसाइटी को अपना फोटो, अपना स्थाई पता तथा पत्राचार पता देगा तथा परिवर्तन, यदि कोई हो, रजिस्ट्रार को ऐसे परिवर्तन की पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर संसूचित करेगा ।

41. बन्धकों तथा भारों की पंजी :– किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा रखी गई बन्धकों और भारों की पंजी अथवा सूची, उसमें दर्ज निम्नलिखित विशिष्टियों में से किन्हीं की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी, अर्थात्–

(क) तिथि, जिसको सोसाइटी के पक्ष में सदस्य द्वारा बंधक या भार सृष्ट किया गया;

(ख) बंधकित या भारित भूमि या अन्य अचल सम्पति की विशिष्टियां; और

(ग) तिथि, जिसको बन्धक या भार की घोषणा उप–रजिस्ट्रार या राजस्व प्राधिकारी को, जैसी भी स्थिति हो, भेजी गई थी।

42. प्रविष्टि की प्रति की साक्ष्य के रूप में सहायता :– (1) किसी सहकारी सोसाइटी के कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई उसकी बही कि किसी प्रविष्टि की प्रति यदि ऐसी रीति में प्रमाणित की जाती है, जो विहित की जाए, किसी भी वाद या विधिक कार्यवाही में ऐसी प्रविष्टि की विद्यमानता के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी और प्रत्येक ऐसे मामले में जहां, तथा उसी सीमा तक जहां तक, मूल प्रविष्टि ही ग्राहय है, उसमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी के किसी भी अधिकारी को और किसी भी ऐसे अधिकारी को, जिसके कार्यालय में किसी सहकारी सोसाइटी की बहियां समापन के पश्चात् जमा करवाई जाती हैं, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें सोसाइटी या समापक पक्षकार नहीं हैं, इस बात के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि वह सम्बद्ध न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा विशेष हेतुक के लिए किए गए आदेश के बिना सोसाइटी की कोई ऐसी बहियां या दस्तावेज पेश करे, जिनकी विषयवस्तु इस धारा के अधीन सिद्ध की जा सकती है या उनमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित हो।

43. लिखतों के अनिवार्य पंजीकरण से छूट :– रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी–

(i) किसी सहकारी सोसाइटी की आस्तियों के पूर्णतः या भागतः अचल सम्पति के रूप में होते हुए भी, उस सोसाइटी में अंशों से सम्बन्धित कोई लिखतः या

(ii) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा जारी किए गए और अचल सम्पति के प्रति या उसमें किसी अधिकार, हक या हित की सृष्टि, घोषणा समनुदेशन, परिसीमन या निर्वापन न करने वाला कोई बैंचर, सिवाय वहां तक जहां तक वह उसके धारक को किसी ऐसी पंजीकृत लिखत द्वारा दी गई प्रतिभूति का हकदार बनाता है, जिसके द्वारा सोसाइटी ने ऐसे डिबैंचर धारियों के फायदे के लिए अपनी सम्पूर्ण अचल सम्पति या उसका भाग अथवा उसमें कोई हित न्यासियों को न्यास के रूप में बन्धक रखा है या हस्तांतरित अथवा अन्यथा अन्तरित किया है; या

(iii) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा जारी किए गए किसी डिबैंचर पर पृष्ठांकन या उसका अन्तरण।

44. कतिपय करों, फीसों और शुल्कों से छूट :– (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी सहकारी सोसाइटी वर्ग के बारे में निम्नलिखित को छूट दे सकती है –

(क) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा उसकी ओर से या उसके किसी अधिकारी या किसी सदस्य द्वारा निष्पादित और ऐसी सोसाइटी के कारबार से सम्बन्धित किसी लिखत या ऐसी लिखतों के किसी वर्ग के बारे में या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी

अधिनियम या आदेश के बारे में उस समय प्रवृत किसी विधि के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क ऐसी दशाओं में जहां ऐसी छूट के अभाव में, यथास्थिति, सहकारी सोसाइटी अधिकारी या सदस्य ऐसा स्टाम्प शुल्क देने के लिए दायी होता; या

(ख) उस समय प्रवृत किसी विधि के अधीन दस्तावेजों के पंजीकरण के सम्बन्ध में भुगतान योग्य कोई फीस या न्यायालय फीसें।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, सहकारी सोसाइटियों के किसी वर्ग को निम्नलिखित से छूट दे सकती है–

(क) भू–राजस्व; और

(ख) माल के विक्रय या क्रय पर कर।

45. वेतन में से कटौती :– (1) उस समय प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य सोसाइटी के पक्ष में यह उपबन्धित करने वाला कोई करार निष्पादित कर सकता है कि उसका नियोजक, उसे नियोजक द्वारा भुगतानयोग्य वेतन या मजदूरी में से किसी ऐसी राशि की, जो करार से विनिर्दिष्ट की जाए, कटौती करने तथा इस प्रकार काटी गई राशि को सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय किसी ऋण या अन्य मांग की तुष्टि में, भुगतान करने के लिए सक्षम होगा।

(2) ऐसे करार के निष्पादन पर, नियोजक, यदि सहकारी सोसाइटी द्वारा उससे लिखित रूप में उपेक्षा की जाए और जब तक सोसाइटी *[कटौती की तिथि से चौदह दिन की अवधि के भीतर] यह सूचित न करे कि ऐसे सम्पूर्ण ऋण या मांग का भुगतान कर दिया गया है, करार के अनुसार कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गई राशि सोसाइटी को भुगतान करेगा। ऐसा भुगतान, काटी गई राशि के भुगतान करने के नियोजक के दायित्व के सम्बन्ध में उसका विधिमान्य उन्मोचन होगा।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन की गई अपेक्षा की प्राप्ति के पश्चात, नियोजक सम्बद्ध सदस्य को भुगतान–योग्य वेतन या मजदूरी में से अपेक्षा में विनिर्दिष्ट राशि की कटौती करने में किसी समय असफल रहता है या काटी गई राशि सम्बद्ध सोसाइटी को प्रेषित करने में व्यतिक्रम करता है तो सोसाइटी नियोजक से ऐसी राशि *[इस अधिनियम की धारा 110 के उपबन्धों के अनुसार] वसूल करने की हकदार होगी।

**व्याख्या–* 'नियोजक' में शामिल होगा वेतन संवितरक अधिकारी।

46. सहकारी सोसाइटियों को राज्य सहायता :– उस समय प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, सरकार–

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की अंश–पूंजी में अभिदाय कर सकती है;

(ख) सहकारी सोसाइटियों को कर्जे या अग्रिम धन दे सकती है;

(ग) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किए गए डिबैंचरों के मूलधन के वापसी भुगतान और उन पर ब्याज के भुगतान की गारंटी कर सकती है;

(घ) किसी सहकारी सोसाइटी की अंश–पूंजी के वापसी भुगतान और उस पर ऐसी दरों से, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, लाभांश के भुगतान की गारंटी कर सकती है;

(ड.) किसी सहकारी सोसाइटी को दिए गए कर्जों और अग्रिम धनों के मूलधन के वापसी भुगतान और उन पर ब्याज के भुगतान की गारंटी कर सकती है; तथा

(च) किसी सहकारी सोसाइटी को किसी अन्य रूप में, वित्तीय सहायता, जिसके अन्तर्गत आर्थिक सहायता भी है, दे सकती है।

अध्याय – VII
लेखा और अभिलेख

47. लेखा–बहियां :– कोई सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटियों का कोई वर्ग लेखा–बहियां तथा अन्य अभिलेख ऐसे प्ररुप तथा रीति में रखेगा जो समय–समय पर रजिस्ट्रार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

48. तुलन–पत्र तथा अन्य आवधिक विवरण :– (1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी निम्नलिखित मामलों पर विवरणियों सहित रजिस्ट्रार को प्रत्येक वित्तिय वर्ष की समाप्ति के छह मास की अवधि के भीतर विहित विवरणियां दायर करेगी, अर्थात :–

(क) इसके कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट ;

(ख) लेखों का लेखापरीक्षित विवरण ;

(ग) सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधीशेष निपटान के लिये योजना;

(घ) सहकारी सोसाइटी की उप–विधियों के संशोधनों की सूची, यदि कोई हो ;

(ड़) इसके साधारण निकाय की बैठक के आयोजन की तिथि तथा निर्वाचन के संचालन के सम्बनध में घोषणा, जब यह देय हो; तथा

(च) अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अनय सूचना।

(2) सहकारी बैंक से भिन्न सहकारी उधार संरचना वित्तीय मानकों के बारे में सभी ऐसे निर्देशों का पालन करेगी जो राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।"।

49. अभिलेख तथा अन्य सम्पत्ति की अभिरक्षा :– सहकारी सोसाइटी अपने कर्मचारियों या अपनी समिति के सदस्यों, जिनकी अभिरक्षा में सोसाइटी की बहियां, अभिलेख, प्रतिभूतियां और अन्य सम्पति हो, की सूची विहित रीति में रखेगी।

50. अभिलेख आदि, का कब्जा लेना :– यदि सहकारी सोसाइटी के अभिलेखों, पंजियों, लेखा–बहियों, निधियों तथा अन्य सम्पत्ति के छेड़–छाड़ या नष्ट, दुर्विनियोग या दुरुपयोग किए जाने की संभावना हो, या यदि वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में ऐसा अभिलेख है, उसका कार्यभार, ऐसा कार्यभार प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को नहीं देता, तो रजिस्ट्रार स्वयं या व्यथित पक्षकार के आवेदन पर, किसी अधिकारी को, जो सहकारी सोसाइटियों के निरीक्षक की पदवी से कम का न हो, ऐसे स्थान में प्रवेश तथा तलाशी करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जहां अभिलेख तथा सम्पत्ति रखी जाती हो अथवा जहां ऐसा अभिलेख या सम्पत्ति के रखने का विश्वास हो तथा ऐसे अभिलेख तथा सम्पत्ति को जब्त करने और ऐसे अभिलेख तथा सम्पत्ति को रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। *[इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति, क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले पुलिस प्राधिकारी से आवश्यक सहायता मांग सकता है जब अभिलेख तथा सम्पत्ति को जब्त करने में आवश्यकता उत्पन्न हो तथा पुलिस आवश्यक सहायता देगी।]

51. अभिलेख का प्रस्तुतीकरण :– (1) जहां सोसाइटी की बहियां, अभिलेख, नकदी, प्रतिभूतियां तथा अन्य सम्पति इस अधिनियम के अधीन उसके लिए हकदार व्यक्ति को प्रस्तुत की अथवा सौंपी नहीं जाती हो वहां तो रजिस्ट्रार स्वयं या समिति, किसी ऋणदाता, संवर्ग सोसाइटी, संपरीक्षक, समापक या निरीक्षण अधिकारी, जांच अधिकारी, के आवेदन पर बहियों पर के अभिरक्षक के आचरण के सम्बन्ध में जो अभिलेख तथा अन्य सम्पत्ति को प्रस्तुत करने तथा सौंपने में असफल रहता है, स्वयं उसकी जांच कर सकता है या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को लिखित आदेश द्वारा इस निमित्त जांच करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) जहां जांच उपधारा (1) के अधीन की जाती है, वहां रजिस्ट्रार, सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, धन, बहियों, अभिलेख, प्रतिभूतियां या सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को, अभिरक्षक से उन व्यक्तियों को प्रस्तुत करने अथवा सौंपने के लिए जो उसको प्राप्त करने के हकदार हैं, अपेक्षा का आदेश कर सकता है और ऐसे व्यक्ति से ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी सीमा तक प्रतिकार देने की अपेक्षा कर सकता है जो रजिस्ट्रार न्यायसंगत और साम्यपूर्ण समझे।

अध्याय VIII

भार तथा बन्धक

52. चल सम्पत्ति पर प्रथम भार :–(1) तत्समय लागू किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु भू–राजस्व या भू–राजस्व के रूप में वसूली योग्य किसी धन के बारे में सरकार के किसी पूर्विक दावे या **[संसद द्वारा अधिनियमित किसी विधि के अधीन करों की वसूली के बारे में] सरकार के किसी पूर्विक दावे के अधीन रहते हुए, किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी को देय कोई ऋण या आशोधित मांग, यथा–स्थिति, ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य की अथवा मृत सदस्य की सम्पदा की भाग–रूप फसलों और अन्य कृषि–उपज, पशुओं के लिए चारे, कृषि सम्बन्धी या औद्योगिक उपकरणों या मशीनरी या विनिर्माण के लिए कच्चे माल और ऐसे कच्चे माल से विनिर्मित तैयार उत्पादों पर सर्वप्रथम भार होगी।

(2) कोई भी व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन भाराधीन किसी सम्पत्ति का अन्तरण भारधारी सहकारी सोसाइटी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा।

(3) तत्समय लागू किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया सम्पत्ति का कोई अन्तरण शून्य होगा।

53. अचल सम्पत्ति पर भार और बंधक :– इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी –

(क) किसी सदस्य के लिए यह विधिपूर्ण होगा, यदि वह किसी भूमि या किसी अन्य अचल सम्पत्ति का स्वामी या अभिधारी के रूप में किसी भूमि में उसका हित है, कि वह सोसाइटी के पक्ष मे, उसके द्वारा उसको दी गई किसी वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति के रूप में भार सृष्ट करें अथवा उसको बंधकित करें;

(ख) जहां खण्ड (क) के अधीन बंधक या भार सृष्ट किया जाता है वहां सदस्य विहित रूप में घोषणा करेगा, जिसमें यह कथन होगा कि आवेदक उसके द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी भूमि, निर्माण या अचल सम्पत्ति या हित पर, आवेदन के अनुसरण में सोसाइटी द्वारा सदस्य को दिए जाने वाले कर्ज की राशि के भुगतान के लिए उसके द्वारा अपेक्षित सभी भावी अग्रिम धनों के, यदि कोई हों, जो सोसाइटी ऐसे अधिकतम के अधीन रहते हुए, जो वह अवधारित करे, उसे दे, कर्जे की ऐसी राशि पर ब्याज सहित भुगतान के लिए भार या बन्धक सृष्ट करता है;

(ग) खण्ड (ख) के अधीन की गई घोषणा, किसी सदस्य द्वारा, उस सोसाइटी की सम्पत्ति से जिसके पक्ष में ऐसा बन्धक या भार सृष्ट किया गया था, किसी भी समय परिवर्तित की जा सकती है;

(घ) कोई भी सदस्य खण्ड (ख) के अधीन की गई घोषणा में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसमें हित अथवा उसका कोई भाग तब तक अन्य संक्रांत नहीं करेगा जब तक सदस्य द्वारा उधार ली गई सम्पूर्ण राशि, उस पर ब्याज सहित, पूर्णतः भुगतान नहीं कर दी जाती :

परन्तु सदस्यों द्वारा उधार ली गई सम्पूर्ण राशि उस पर ब्याज सहित सोसाइटी को पूर्णतः भुगतान करने के प्रयोजन के लिए सदस्य, सोसाइटी की लिखित पूर्व अनुज्ञा से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सोसाइटी अधिरोपित करे, ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसमें हित अथवा उनका कोई भाग अन्यसंक्रांत कर सकता है :

परन्तु यह और कि ऐसी किसी भूमि पर खड़ी फसल सोसाइटी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्यसंक्रांत की जा सकती है ;

(ङ) खण्ड (घ) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया कोई अन्यसंक्रामण शून्य होगा ;

(च) भू–राजस्व या भू–राजस्व के रूप में वसूली योग्य किसी धन के बारे में सरकार के पूर्व दावों के अधीन रहते हुए, अपने देयों के बारे खण्ड (ख) के अधीन की गई घोषणा में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति या हित पर कर्जों और अग्रिम धनों के मद्दे उसके द्वारा देय राशियों के लिये और उनके परिमाण तक सोसाइटी के पक्ष में प्रथम भार होगा :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद किसी सोसाइटी के पक्ष में सृष्ट किया गया बन्धक या भार सरकार के किसी भी ऐसे दावे के ऊपर प्राथमिकता रखेगा जो भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883, या कृषक उधार अधिनियम, 1884, के अधीन स्वीकृत किए गए कर्जे से बन्धक या भार सृष्ट करने के बाद उत्पन्न हुआ हो।

54. भार तथा बन्धक का पंजीकरण :– (1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, में किसी बात के होते हुए भी, बन्धक या भार, जिसके सम्बन्ध में धारा 53 के खण्ड (ख) के अधीन घोषणा की गई है या जिसके सम्बन्ध में उस धारा के खण्ड (ग) के अधीन सोसाइटी के पक्ष में परिवर्तन किया गया है, उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे बन्धक, भार या परिवर्तन, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से सम्यक् रूप से पंजीकृत समझा जाएगा।

(2) सोसाइटी, घोषणा को दो प्रतियों में, रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा, स्थानीय सीमाओं के भीतर उप–रजिस्ट्रार को, जिसकी अधिकारिता में बन्धकित या भारित सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है, भेजेगी और अपने अभिलेख के लिये उसकी एक प्रति रखेगी।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट घोषणा प्राप्त करने वाला उपरजिस्ट्रार पंजीकरण के लिये ऐसी घोषणा अथवा ऐसे परिवर्तन की प्राप्ति का तथ्य इस निमित्त रखे जाने वाली पंजी में अभिलिखित करेगा। पंजीकरण के बाद घोषणा की एक प्रति सोसाइटी को लौटा दी जाएगी।

(4) जब कभी किसी सदस्य द्वारा सोसाइटी के पक्ष में भूमि पर कोई भार या बन्धक या उसमें हित सृष्ट किया जाता है तो सोसाइटी, तहसीलदार या ऐसे राजस्व अधिकारी को, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहीत किया जाए, उसके पक्ष में सृष्ट किए गए भार या बन्धक के ब्यौरों की सूचना दे सकती है। तहसीलदार या अन्य राजस्व अधिकारी भार या बन्धक के ब्यौरों का टिप्पण भूमि के, जिस पर भार या बन्धक सृष्ट किया गया है, अधिकारों के अभिलेख में करेगा।

सोसाइटी से वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है, सोसाइटी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना तब तक ऐसी भूमि पर कोई अभिधृति अधिकार या उसमें कोई हित सृष्ट नहीं करेगा जब तक वित्तीय सहायता बकाया रहती है।

55. भार और मुजरा :– कोई सहकारी सोसाइटी किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से अथवा मृत सदस्य की सम्पदा से सोसाइटी को देय किसी ऋण के बारे में ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य के पूंजी में अंश या अभिदाय या हित पर और विक्षेपों पर तथा ऐसे किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को अथवा मृत सदस्य की सम्पदा को भुगतान योग्य किसी लाभांश, बोनस या लाभों पर भार रखेगी और वह किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के अथवा मृत सदस्य की सम्पदा के नाम जमा या उसको भुगतान योग्य किसी राशि का, ऐसे किसी भुगतान या ऋण में या उसके लेखे मुजरा कर सकती है।

56. अंश, अभिदाय अथवा हित जो कुर्की योग्य नहीं होगा :– धारा 55 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी सहकारी सोसाइटी की पूंजी में किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य का अंश या अभिदाय या हित, ऐसे सदस्य द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के बारे में किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की या विक्रय के लिये दायी नहीं होगा और प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920, के अधीन कोई रिसीवर ऐसे अंश या अभिदाय या हित पर किसी दावे का हकदार नहीं होगा अथवा उसका कोई दावा नहीं होगा।

57. बन्धकों, भारों तथा आस्तियों का अन्तरण :– जहां कोई सोसाइटी, अपने सदस्यों को कर्जे देने के लिए ऐसे सदस्यों द्वारा बन्धकों या भारों या अपनी आस्तियों के अन्तरण पर किसी अन्य सोसाइटी से उधार लेती है, वहां ऐसे बन्धक या भार तथा आस्तियां दूसरी सोसाइटी को ऐसे बन्धक या भार के सृष्ट करने की तिथि से या आस्तियों के अन्तरण की तिथि से, जैसी भी स्थिति हो, अन्तरित समझी जाएंगी।

58. पट्टे पर देने की शक्ति :– सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882, या तत्समय लागू किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सहकारी सोसाइटी को बन्धकित या भारित सम्पत्ति के, किसी सदस्य द्वारा निष्पादित, पट्टे की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

59. बन्धकर्ता और भारकर्ता का दीवाला :– प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920, में किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य द्वारा सहकारी सोसाइटी के पक्ष में सृष्ट किए गए किसी बन्धक या भार को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह मूल्यवान प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक सृष्ट नहीं किया गया था और न ही इस आधार पर कि उसे सोसाइटी को सदस्य के अन्य लेनदारों पर, अधिमान देने के लिए निष्पादित किया गया था।

60. सदस्यों के पूर्विक ऋण :– जहां सदस्यों के पूर्विक ऋणों के भुगतान के लिए सहकारी सोसाइटी के पक्ष में कोई बन्धक या भार सृष्ट किया गया है, वहां सोसाइटी, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882, की धारा 83 तथा 84 के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे ऐसा कोई ऋण देय है, ऐसे ऋण की या उसके किसी भाग की सोसाइटी से, ऐसी अवधि के भीतर जो नोटिस में उल्लिखित की जाए, भुगतान प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकती है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नोटिस या ऐसा भुगतान प्राप्त करने में असफल रहता है या कोई तो ऐसे ऋण या उसके भाग पर, जैसी भी स्थिति हो, नोटिस में बताई गई अवधि की समाप्ति से ब्याज लगाना बन्द हो जाएगा :

परन्तु जहां ऐसे किसी ऋण की राशि के सम्बन्ध में कोई विवाद है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिसे ऋण देय है, ऋण के लिये सोसाइटी द्वारा दी गई राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए आबद्ध होगा, किन्तु ऐसी प्राप्ति, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए बकाया को वसूल करने के किसी अधिकार पर, यदि कोई हो, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

61. विधिमान्य उन्मोचन की स्वीकृति :– इस बात के होते हुए भी कि धारा 57 के उपबन्धों के अधीन सहकारी सोसाइटी के पक्ष में सृष्ट बन्धक या भार किसी अन्य सोसाइटी को अन्तरित कर दिया गया है या अन्तरित कर दिया गया समझा गया है,–

(क) बन्धक या भार के अधीन देय सभी धन–राशियां, अन्य सोसाइटी या न्यासी द्वारा इसके प्रतिकूल जारी किए गए और सदस्य को संसूचित किए गए किसी विशेष निदेश के अभाव में ऐसी सोसाइटी को भुगतान–योग्य होंगी, जिसने सदस्य को कर्जा दिया है और ऐसा भुगतान उसी प्रकार से विधिमान्य होगा मानो बन्धक या भार इस प्रकार अन्तरित नहीं किया गया था; और

(ख) ऐसी सोसाइटी, न्यासी द्वारा इसके प्रतिकूल जारी किए गए और ऐसी सोसाइटी को संसूचित किए गए किसी विशेष निदेश के अभाव में, बन्धक या भार के अधीन देय धन–राशियों की वसूली के लिए बन्धक या भार पर वाद लाने या कोई अन्य कार्यवाही करने की हकदार होगी।

62. संयुक्त हिन्दु परिवार द्वारा सृष्ट बन्धक और भार :– जहां सोसाइटी के पक्ष में सृष्ट बन्धक या भार इस आधार पर प्रश्नगत किया जाता है कि वह, रूढ़ि द्वारा शासित व्यक्ति या संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक द्वारा उत्तर–भोगियों या उसके सदस्यों को, चाहे वे वयस्क हों या अवयस्क आबद्ध न करने के प्रयोजन के लिए, निष्पादित किया गया था, वहां उसके साबित करने का भार, इसके प्रतिकूल किसी विधि के होते हुए भी, प्रश्न उठाने वाले पक्षकार पर होगा।

अध्याय–IX
कर्जे और उधार

***63 उधारों पर निर्बन्धन :–**(1) सहकारी सोसाइटी उप–विधियों में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन बाह्य स्रोतों से निक्षेप प्राप्त कर सकती है, ऋण ले सकती है तथा अनुदान प्राप्त कर सकती है:

परन्तु किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए निक्षेपों तथा ऋणों की कुल राशि अभिदत्त शेयर पूंजी तथा संचित आरक्षणों की राशि से दस गुणा से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि अभिदत्त शेयर पूंजी तथा संचित आरक्षणों की कुल राशि संगणित करते समय संचित हानियां काटी जाएंगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन, कोई सहकारी सोसाइटी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे निबंधन तथा सेवा शर्तों पर जो पारस्परिक संविदा पर सोसाइटी के हित में हों, निधियां स्वीकार कर सकती है या उधार ले सकती है।

(3) कोई सहकारी सोसाइटी अपनी भुगतान की गई शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत तक के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्रोतों को बढ़ाने के लिए तत्समय लागू किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन अपरिवर्तनीय ऋण पत्र या अन्य दस्तावेज जारी कर सकती है।

64. कर्जों का निर्बन्धन :– (1) कोई सहकारी सोसाइटी, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अन्तर्गत अपने सदस्यों को, अपने कर्मचारियों को या अपने निक्षेपकर्ताओं को उनके निक्षेपों की प्रतिभूति पर कर्जे देगी:

परन्तु कोई सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन से दूसरी सहकारी सोसाइटी को, जो उसकी सदस्य नहीं है, कर्जे दे सकती है।

(2) सहकारी ऋण तथा सेवा सोसाइटी, कृषक सेवा सोसाइटी, प्राथमिक भूमि विकास बैंक या सहकारी शहरी बैंक द्वारा वर्ष में दिए जाने वाले कर्जे की समस्त राशि का कम से कम एक–तिहाई भाग कमजोर वर्ग के सदस्यों को स्वीकृत किया जाएगा, यदि वे कर्जा दिए जाने के लिए आवेदन करते हैं।

(3) कर्जे तथा अग्रिम धन–राशियां ऐसी प्रतिभूतियों, गारंटियों पर ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए दी जाएंगी जो विहित किए जाएं:

परन्तु सभी लम्बी अवधि के कर्जे भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति पर बन्धक या भार द्वारा दिए जाएंगे :

*परन्तु यह और कि यदि भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति उधारगृहीता के स्वामित्व में नहीं है, तो उसको, दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत किये जाने पर और इस अतिरिक्त शर्त के अधीन रहते हुए कि वह ऐसे कर्जे से अर्जित चल या अचल आस्तियों को सोसाइटी के पक्ष में बन्धक रखेगा या उस पर भार सृजित करेगा, लम्बी अवधि के कर्जे दिये जा सकते हैं :

*परन्तु यह और कि अल्पकालिक अवधि, मध्यमकालिक अवधि तथा दीर्घकालिक अवधि के अधीन लिए गए सभी ऋण जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ऋण स्कीम सूत्रबद्ध की है, रजिस्ट्रार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।

व्याख्या :– लम्बी अवधि के कर्जे से अभिप्राय है, ऐसा कर्जा जो पांच साल तक की अवधि के दौरान लौटाया जाने वाला हो।

**(4) इस धारा की उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सहकारी उधार संरचना इसकी ऋण नीतियों के बारे में समुचित निर्णय ले सकती है जिसमें सोसाइटी तथा इसके सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके सदस्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण निर्णय भी शामिल हैं।

65. ब्याज की सीमा :– इस अधिनियम, नियमों, उपविधियों में या इस निमित्त किसी करार में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी सहकारी सोसाइटी सदस्यों को अल्पावधि पर दिए गए कर्जों पर, दिए गए कर्जे के मूलधन से अधिक ब्याज वसूल नहीं करेगी।

व्याख्या :–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अल्पावधि कर्जे से अभिप्राय है, ऐसा कर्जा जो पन्द्रह मास की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया हो।

66. डिबैंचरों तथा बन्धपत्रों का जारी करना :–(1) कोई सहकारी सोसाइटी, न्यासी की पूर्व स्वीकृति से, ऐसी अवधियों के लिये, जो वह समीचीन समझे, सोसाइटी द्वारा उसे अन्तरित किए गए या अन्तरित किए गए समझे गए बन्धकों तथा भारों और अन्य आस्तियों की प्रतिभूति पर तथा उसकी सभी या किन्हीं अन्य आस्तियों की प्रतिभूति पर एक या अधिक मूल्यों के डिबैंचर या बन्धपत्र जारी कर सकती हैः

***[परन्तु भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति पर बन्धक या भार के बिना दिये गये लम्बी अवधि के कर्जों के लिए डिबैंचर या बन्धपत्र इस शर्त के अधीन जारी किये जा सकते हैं कि इस प्रकार दिये गये कर्जों की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा गारन्टी दी जाए।]

(2) ऐसे डिबैंचर या बन्धपत्र ऐसी अवधि के हो सकते हैं जो उनके जारी होने की तिथि से पच्चीस वर्ष तक की नियत की जाए, जिसके दौरान वे अमोचनीय होंगे या उधार लेने वाली सोसाइटी को यह अधिकार आरक्षित होगा कि वह मोचन के लिये नियत तिथि से पहले, सम्बद्ध डिबैंचर या बन्धपत्र धारक को कम से कम तीन मास का लिखित नोटिस देने के बाद किसी भी समय किन्हीं डिबैंचरों या बन्धपत्रों को वापस ले सकती है।

(3) सोसाइटी द्वारा किसी भी समय जारी किए गए तथा बकाया डिबैंचरों या बन्धपत्रों पर देय कुल राशि, ***[इस अधिनियम के अधीन उधार लेने वाली सोसाइटी को अन्तरित किये गये या अन्तरित किये गये समझे गये बन्धकों, भारों, अन्य आस्तियों के मूल्य पर देय राशियों तथा भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति पर बन्धक या भार के बिना दिये गये लम्बी अवधि के कर्जों के मद्दों राशियों के कुल योग से अधिक नहीं होगी।]

67. न्यासी की नियुक्ति :– (1) जहां निधियां डिबैंचरों को चालू करने या बंधपत्रों के जारी करने के द्वारा जुटाई गई हों, वहां रजिस्ट्रार, उधार लेने वाली सोसाइटी की बाध्यता की पूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए न्यासी होगा।

(2) उधार लेने वाली सोसाइटी को अन्तरित बन्धक, भार तथा अन्य आस्तियां, अन्तरण की तिथि से न्यासी में निहित हो जाएंगी।

(3) डिबैंचरधारियों या बंधपत्रधारियों का, ऐसे सभी बन्धकों, भारों तथा आस्तियों पर और ऐसे बन्धकों या भारों के अधीन भुगतान की गई तथा डिबैंचर जारी करने वाली सोसाइटी या न्यासी के हाथों में रहने वाली राशि पर और उनकी अन्य सम्पत्तियों पर प्रथम भार होगा।

(4) न्यासी की शक्तियां तथा कृत्य उधार लेने वाली सोसाइटी तथा न्यासी के बीच निष्पादित न्यास की लिखित द्वारा शासित होंगे, जिसे उनके बीच पारस्परिक करार द्वारा, समय–समय पर उपांतरित किया जा सकता है।

68. गारन्टी :– धारा 66 के अधीन जारी किए गए डिबैंचरों या बंधपत्रों के मूलधन तथा ब्याज की गारंटी राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन दी जाएगी, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे।

69. विनियम बनाने की शक्ति :–उधार लेने वाली सोसाइटी, न्यासी तथा राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए,–

(i) डिबैंचरों या बंधपत्रों की अवधि तथा उन पर भुगतान योग्य ब्याज की दर नियत करने;

(ii) डिबैंचरधारियों या बंधपत्रधारियों को नोटिस देने के बाद डिबैंचर या बंधपत्र जारी करने;

(iii) क्षतिग्रस्त या नष्ट डिबैंचर या बंधपत्रों के स्थान पर नए डिबैंचर या बंधपत्र जारी करने;

(iv) एक वर्ग के डिबैंचर या बंधपत्र को ब्याज की भिन्न दर वाले अन्य वर्ग में संपरिवर्तित करने; और

(v) साधारणतया धारा 66 के उपबंधों को कार्यान्वित करने, के लिये विनिमय बना सकती है।

70. अपर्याप्त प्रतिभूति :– जहां किसी सहकारी सोसाइटी के हक में बंधकित और भारित कोई संपत्ति पूर्णतः या अंशतः नष्ट हो जाती है या किसी अन्य कारण से प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाती है और उधारगृहीता उसकी कमी पूरी करने हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति की व्यवस्था करने के लिये या कर्जे के ऐसे प्रभाग को जो सोसाइटी द्वारा अवधारित किया जाए, वापस करने के लिये सोसाइटी द्वारा युक्तियुक्त अवसर दिए जाने पर, ऐसी प्रतिभूति की व्यवस्था करने में या कर्जे के ऐसे प्रभाग को वापस करने में असफल रहता है, वहां सारा कर्जा तुरन्त देय हुआ समझा जाएगा और सोसाइटी को उधारगृहीता के विरूद्ध उसकी वसूली हेतु कार्यवाही करने का हक होगा।

व्याख्या :– इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत प्रतिभूति तब तक अपर्याप्त नहीं समझी जाएगी जब तक कि बंधकित या भारित सम्पत्ति का, उस पर किए गए सुधारों सहित, मूल्य ऐसे अनुपात से बंधक या भार पर उस समय देय राशियों से अधिक नहीं हो जाता, जो उधार लेने वाली सोसाइटी के नियमों या विनियमों अथवा उपविधियों में विहित किया जाए।

71. अप्रयुक्त कर्जों की वसूली :– जब किसी सोसाइटी द्वारा दिया गया कोई कर्जा उस प्रयोजन के उपयोग में नहीं लाया जाता, जिसके लिये वह दिया गया था तो सोसाइटी, उस अवधि को जिसके लिये कर्जा दिया गया था, ध्यान में लाए बिना ऋणों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के बाद, समस्त कर्जे को ब्याज और कर्जा देने तथा वसूली करने में हुए खर्चों तथा प्रभारों सहित, यदि कोई हों, वापस मांग सकती है और वसूली कर सकती है।

व्याख्या : – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये, उधार लेने वाली सोसाइटी से अभिप्राय है, ऐसी सोसाइटी जो ऋणपत्र या बंधपत्र जारी करके उधार लेती है।

अध्याय–X

उपज की कुर्की तथा विक्रय

72. कुर्की का कब किया जाना :–(1) यदि धारा 53 के अधीन सोसाइटी के पक्ष में निष्पादित बन्धक या भार के अधीन भुगतान योग्य किसी किस्त या ऐसी किस्त के किसी भाग का, उस तिथि से जिसको वह देय हो गया था, तीन मास से अधिक तक भुगतान न किया गया हो तो सोसाइटी, उसे उपलभ्य किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त, रजिस्ट्रार को, ऐसी किस्त या मांग की भारित या बन्धकित भूमि की उपज, *[ ]कुर्की तथा विक्रय के लिये आवेदन कर सकती है।

(2) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882, में, या उस समय लागू किसी अन्य विधि में, किसी बात के होते हुए भी, ऐसी उपज की कुर्की तथा विक्रय के लिये कार्यवाही कर सकता है:

परन्तु उस तिथि से, जिसको किस्त देय हुई थी, *[छः मास] समाप्त हो जाने के बाद कोई कुर्की नहीं की जाएगी।

(3) कुर्की की गई सम्पत्ति का मूल्य देय राशि के तथा कुर्की के व्ययों और विक्रय के खर्चों के यथासंभव बराबर होगा।

(4) इस बारे में कोई गलती, त्रुटि या अनियमितता, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कुर्की या विक्रय को अविधिमान्य नहीं बनाएगी।

73. कुर्की कैसे की जाए :– (1) धारा 72 के अधीन कुर्की किए जाने से पूर्व या उसी समय, कुर्कीकर्ता, व्यतिक्रमी पर, उस राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसके लिए कुर्की की जाती है, एक लिखित मांग तामील करेगा या कराएगा।

(2) मांग पर कुर्कीकर्ता द्वारा तिथि डाली जाएगी तथा हस्ताक्षर किए जाएंगे और व्यतिक्रमी पर उसकी तामील उसको या उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को उसके प्रायिक निवास स्थान पर या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को एक प्रति परिदत्त करके की जाएगी, या जब ऐसी तामील न की जा सकती हो, तो उसके निवासस्थान के तथा उसकी भूमि के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाकर।

74. कुर्क सम्पत्ति का विक्रय :–(1) यदि धारा 73 में निर्दिष्ट मांग की तामील की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर व्यतिक्रमी उस राशि का, जिसके लिये कुर्की की गई थी, भुगतान नहीं करता, तो कुर्कीकर्ता कुर्क सम्पत्ति या उसके ऐसे भाग, का जो उसकी राय में मांग को कुर्की के व्ययों तथा विक्रय के खर्चों सहित चुकता करने के लिये आवश्यक हो, नीलाम में विक्रय कर सकता है :

*परन्तु फिर भी, करस्थम् की हुई सम्पत्ति का विक्रय रजिस्ट्रार की पुष्टि के अध्यधीन होगा।

(2) ऐसे विक्रय के आगम से, विक्रय के खर्चों के मद्दे ऐसी दर पर जो रुपये में दस पैसे से अधिक न हो, कटौती की जाएगी।

(3) बकाया में से कुर्कीकर्ता द्वारा कुर्की के मद्धे किए गए व्ययों की कटौती की जाएगी।

(4) शेष का, यदि कोई हो, उस राशि को चुकाने के लिये उपयोग किया जाएगा जिसके किए कुर्की की गई थी।

(5) अधिशेष राशि, यदि कोई हो, उस व्यक्ति को परिदत्त कर दी जाएगी, जिसकी सम्पत्ति का विक्रय किया गया है और उसे विक्रय आगम में से चुकाई गई राशि की रसीद दी जाएगी।

75. विक्रय की शक्ति का कब प्रयोग किया जाना :– (1) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882, में या उस समय लागू किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय की शक्ति, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, बन्धक किए जाने की घोषणा द्वारा अभिव्यक्त रूप से किसी सोसाइटी को प्रदान नहीं की जाती है वहां सोसाइटी या ऐसी सोसाइटी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, बन्धक–धन या उसके किसी भाग के भुगतान न किए जाने की दशा में, सोसाइटी को उपलब्ध किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बन्धकित सम्पत्ति का विक्रय करने की शक्ति प्राप्त होगी **":"**

"परन्तु यदि कृषि तथा कृषि प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि बन्धक है तथा सोसाइटी तथा कृषक दोनों सहमत हैं कि कृषक द्वारा निरंतर तीन व्यतिक्रम की दशा में बन्धक भूमि पट्टे पर दी जा सकती है, तब कृषक बकाया राशि की वसूली के लिये बन्धक भूमि का कब्जा, ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर, जो विहित किए जाएं, सोसाइटी को उसे पट्टे पर देने लिये सौंपेगा :

परन्तु यह और कि यदि प्रथम परन्तुक में यथा वर्णित वसूली के लिए बन्धक की शर्तें तथा निबन्धन उपबन्धित नहीं किये जाते हैं, तो व्यतिक्रम करने वाला कृषक सोसाइटी को वसूली के लिए बन्धक भूमि पट्टे पर देने के लिए आवेदन कर सकता है तथा सोसाइटी तदनुसार कार्यवाही करेगी:

परन्तु यह और कि यदि वसूली भूमि को पट्टे पर देने पर भी नहीं की जा सकती है, तो सोसाइटी बिक्री अधिकारी को बकाया राशि की वसूली के लिए बन्धक भूमि की बिक्री के लिये आवेदन कर सकती है।

व्याख्या–

(i) **"कृषि" तथा "कृषि प्रयोजन" फसल, बागवानी, वनोद्योग, रोपण तथा कृषि की सिंचाई, उगाने, संरक्षित करने तथा काटने के साधन विकसित करने, पशु प्रजनन, पशुपालन, डेरी–उद्योग, बीज–उद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खी–पालन, रेशम कीट–पालन, सूअर–पालन, मुर्गी–पालन तथा ऐसी अन्य गतिविधियां जो सामान्यतः कृषकों, डेरी फार्मर्ज, पशु प्रजनक, मुर्गी पालक द्वारा की जा रही है तथा कृषि उत्पादों के विपणन, उनके भण्डारण तथा परिवहन तथा किसी ऐसी गतिविधि के सम्बन्ध में उपकरणों के सम्बन्ध में उपकरणों तथा मशीनरी के अर्जन सहित इसी प्रकार की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो सहित भूमि को जुताई योग्य बनाने, भूमि की जुताई, भूमि का सुधार भी शामिल होंगे ;**

(ii) **"कृषक" कोई व्यक्ति जो कृषि का कार्य करता है तथा जिसने कृषि तथा कृषि प्रयोजन के लिए ऋण ले रखा है।" ।**

(2) ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा, जब तकः–

(क) सोसाइटी ने उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्ति के प्रयोग को बन्धककर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के, जो बन्धकित सम्पत्ति में कोई हित रखता है, आक्षेपों की, यदि कोई है, सुनवाई तथा उनका निश्चय करने के पश्चात् पहले से प्राधिकृत न कर दिया हो;

(ख) ऐसे बन्धक धन या उसके भाग के भुगतान की अपेक्षा करने वाला लिखित नोटिस निम्नलिखित पर तामील न कर दिया होः–

(i) बन्धककर्ता या बन्धककर्ताओं में प्रत्येक पर;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो बन्धकित सम्पत्ति में कोई हित या भार रखता हो या उसे मोचित कराने का अधिकार रखता हो;

(iii) बन्धक–ऋण या उसके किसी भाग के भुगतान के लिए किसी प्रतिभू पर; और

(iv) बन्धककर्ता के किसी लेनदार पर, जिसने अपनी सम्पदा के प्रशासन सम्बन्धी किसी वाद में बन्धकित सम्पत्ति के विक्रय के लिये कोई डिक्री प्राप्त की हो;

(ग) ऐसे बन्धक–धन या उसके भाग को, ऐसी तामील के पश्चात्, तीस दिन में भुगतान में व्यतिक्रम न किया गया हो; और

(घ) यदि सोसाइटी द्वारा दावा की गई राशि विवादग्रस्त है तो रजिस्ट्रार ने प्रमाणित न कर दिया हो कि दावा की गई राशि या उससे कम राशि बन्धककर्ता द्वारा देय है।

76. विक्रय के लिये आवेदन और विक्रय की रीति :–(1) धारा 75 द्वारा प्रदान की गई विक्रय की शक्ति का प्रयोग करते हुए, सोसाइटी या सोसाइटी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, धारा 84 के अधीन उस निमित्त नियुक्त विक्रय अधिकारी को, बन्धकित सम्पत्ति या उसके किसी भाग का विक्रय किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है और ऐसा अधिकारी धारा 75 में निर्दिष्ट सभी व्यक्तियों को लिखित नोटिस देने के पश्चात् पंजीकृत विलेख पर आधारित किसी पूर्व भार के अधीन रहते हुए, विहित रीति में ऐसी सम्पत्ति का विक्रय करेगा।

(2) विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाएगा और उस गांव *[या नगर] में किया जाएगा जहां बन्धकित सम्पत्ति स्थित है या यदि विक्रय अधिकारी की राय हो कि लोक समागम के किसी निकटतम स्थान पर अधिक मूल्य पर विक्रय होने की सम्भावना है, तो वहां किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रार, बन्धककर्ता द्वारा या बन्धकित सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विक्रय के 30 दिन के भीतर उसे प्रस्तुत किए गए आवेदन पर, विक्रय को रद्द कर सकता है, यदि उसकी राय में विक्रय के संचालन में कोई अवैधता या तात्विक अनियमितता हुई है।

(4) उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार द्वार विक्रय के रद्द कर दिये जाने पर, इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार नया विक्रय संचालित किया जाएगा।

77. विक्रय रद्द करने के लिये आवेदन :– (1) जब इस अध्याय के अधीन किसी बन्धकित सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया हो तो बन्धककर्ता या उसमें अधिकार या हित रखने वाला विक्रय द्वारा प्रभावित कोई भी व्यक्ति, विक्रय की तिथि से तीस दिन के भीतर किसी भी समय, सोसाइटी को उसके कार्यालय में निम्नलिखित राशियां जमा करने पर विक्रय रद्द किये जाने के लिये आवेदन कर सकता है:–

(क) विक्रय की उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट राशि, बाद के ब्याज तथा खर्चों के साथ, यदि कोई हों, जो सोसाइटी द्वारा सम्पत्ति के विक्रय के लिये लाए जाने हेतु किए गए हों, उक्त सोसाइटी को भुगतान करने के लिए; और

(ख) क्रय धन के दो प्रतिशत के बराबर राशि, क्रेता को भुगतान करने के लिये।

(2) यदि ऐसी राशि जमा कर दी जाती है तो सोसाइटी विक्रय को रद्द करने के लिये आदेश करेगी।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाता या जहां ऐसा आवेदन किया जाता है और नामंजूर कर दिया जाता है, वहां सोसाइटी रजिस्ट्रार को, विक्रय की पुष्टि का आदेश करने के लिये आवेदन करेगी और उसके विक्रय की पुष्टि करने पर, वह पूर्ण हो जाएगा।

78. विक्रय के आगम का वितरण :– (1) इस अध्याय के अधीन किए गए प्रत्येक विक्रय का आगम विक्रय अधिकारी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाएगा– प्रथमतः विहित रीति में अवधारित विक्रय या प्रयतित विक्रय में आनुषंगिक रूप में उसके द्वारा उचित रूप से किए गए सभी खर्चों, प्रभारों और व्ययों के भुगतान में; द्वितीयतः उस बन्धक के मद्दे, जिसके परिणाम–स्वरूप बन्धकित सम्पत्ति का विक्रय हो गया था, देय सम्पूर्ण ब्याज के भुगतान में; तृतीयतः बन्धक के मद्दे देय मूलधन के भुगतान में; और अन्तिमतः अवशेष राशि, यदि कोई हो, उस व्यक्ति को जो विक्रय की गई सम्पत्ति में अपने हित को सिद्ध करता है या यदि ऐसे एक से अधिक व्यक्ति हों, तो ऐसे व्यक्तियों को, उसमें उनके अपने–अपने हित के अनुसार उनकी संयुक्त रसीद दिये जाने पर भुगतान की जाएगी।

(2) ऐसी अवशेष राशि के वितरण के बारे में विक्रय अधिकारी के निश्चय से असन्तुष्ट कोई भी व्यक्ति, उसे ऐसे निश्चय की सूचना के तीस दिन के भीतर, अपने द्वारा दावा किये गये अधिकार को सिद्ध करने के लिये सिविल न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है।

(3) विक्रय अधिकारी सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को उसके निश्चय की सूचना के तीस दिन बीतने तक ऐसी अवशेष राशि को वितरित नहीं करेगा या यदि तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई वाद संस्थित कर दिया गया हो, तो वाद के निपटान होने तक अथवा अन्यथा उसमें सिविल न्यायालय के निश्चय के अनुसार।

79. क्रेता को प्रमाण–पत्र :– जहां बन्धकित सम्पत्ति का विक्रय पूर्ण हो गया हो, वहां विक्रय अधिकारी विक्रय की गई सम्पत्ति को और उस व्यक्ति के नाम को जो विक्रय के समय क्रेता घोषित किया जाता है, विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण–पत्र प्रदान करेगा। ऐसे प्रमाण–पत्र पर वह तिथि तथा दिन अंकित होगा, जिसको विक्रय पूर्ण हुआ था।

80. क्रेता को सम्पत्ति का परिदान :– (1) जहां विक्रय की गई बंधकित सम्पत्ति बंधककर्ता के या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के या किसी व्यक्ति के अधिभोग में है जो सोसाइटी के पक्ष में बंधक के बाद बंधककर्ता द्वारा सृष्ट पांच वर्ष तक की अवधि के लिये किसी पट्टे से भिन्न किसी हक के अधीन दावा कर रहा है और उसके बारे में धारा 79 के अधीन प्रमाण–पत्र दिया जा चुका है, वहां सिविल न्यायालय, क्रेता के आवेदन पर, ऐसे क्रेता या अन्य व्यक्ति को, जिसे वह अपनी ओर से परिदान प्राप्त करने के लिये नियुक्त करे, सम्पत्ति का कब्जा दिलाकर परिदान किये जाने का आदेश करेगा।

(2) जहां विक्रय की गई सम्पत्ति किसी अधिभारी या उसके अधिभोग के हकदार किसी अन्य व्यक्ति के अधिभोग में है और उसके बारे में धारा 79 के अधीन प्रमाण–पत्र दिया जा चुका है, वहां सिविल न्यायालय, क्रेता के आवेदन पर, और ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति को नोटिस दिए

जाने के बाद, विक्रय के प्रमाण–पत्र की एक प्रति सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाकर और किसी सुविधाजनक स्थान पर डोंडी पिटवाकर या अन्य रूढ़िगत ढंग से यह उद्घोषणा करके कि बंधककर्ता का हित क्रेता को अन्तरित कर दिया गया है, परिदान किए जाने का आदेश करेगा।

(3) उपधारा (1) तथा (2) के अन्तर्गत संव्यवहृत मामलों के बारे में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, की प्रथम अनुसूची के आदेश XXI के नियम 97 से 103 तक के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

81. बंधकित सम्पत्ति को क्रय करने का सोसाइटी का अधिकार :– उस समय लागू किसी विधि में जिस में, जिसमें कृषिक जोतों पर अधिकतम सीमा के अधिरोपण की विधि भी शामिल है, किसी बात के होते हुए भी, सोसाइटी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह इस अध्याय के अधीन विक्रय की गई किसी बंधकित सम्पत्ति को क्रय कर ले और इस प्रकार क्रय की गई सम्पत्ति का, ऐसी सोसाइटी द्वारा ऐसी अवधि के भीतर, जो रजिस्ट्रार द्वारा नियत की जाए, विक्रय द्वारा निपटान किया जाएगा।

82. रिसीवर की नियुक्ति :– (1) वह सोसाइटी जिसे धारा 75 के अधीन विक्रय की शक्ति प्राप्त है, बंधकित सम्पत्ति या उसके किसी भाग की उपज या आय का लिखित रूप में कोई रिसीवर नियुक्त कर सकती है और ऐसा रिसीवर या तो, यथास्थिति, सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का या, उसकी उपज तथा आय को वसूल करने का हकदार होगा। वह अपने द्वारा वसूल किए गए किसी धन में से प्रबन्ध के अपने व्यय को, जिस में उसका सोसाइटी द्वारा यथा नियत पारिश्रमिक, यदि कोई हो, भी शामिल है, प्रतिधारित करने तथा बकाया को सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882, की धारा 69–क की उपधारा (8) के उपबन्ध के अनुसार उपयोजित करने का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई रिसीवर पर्याप्त कारण से और बंधककर्ता के आवेदन पर, सोसाइटी द्वारा हटाया जा सकता है।

(3) रिसीवर के पद की कोई रिक्ति सोसाइटी द्वारा भरी जा सकती है।

(4) इस धारा की कोई भी बात सोसाइटी को उस दशा में रिसीवर नियुक्त करने के लिए सशक्त नहीं बनाएगी, जिस में बंधकित सम्पत्ति पहले ही किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर के कब्जे में है।

83. क्रेता के हक को चुनौती नहीं दी जा सकेगी :– जब धारा 75 द्वारा प्रदान की गई विक्रय की शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया तात्पर्यित कोई विक्रय धारा 77 की उपधारा (3) के अधीन पुष्ट कर दिया गया हो तो क्रेता के हक को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि विक्रय को प्राधिकृत करने के लिए कोई मामला उत्पन्न नहीं हुआ था या सम्यक् नोटिस नहीं दिया गया था या शक्ति का अन्यथा अनुचित या अनियमित रूप से प्रयोग किया गया था, किन्तु शक्ति के, अप्राधिकृत या अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग से क्षतिग्रस्त किसी भी व्यक्ति को सोसाइटी के विरुद्ध हर्जाना का उपचार प्राप्त होगा।

84. विक्रय अधिकारियों की नियुक्ति :– राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को जो राजपत्रित अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो, इस अध्याय के अधीन विक्रय के संचालन के प्रयोजन के लिए विक्रय अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है।

अध्याय–XI
सम्पत्तियां और निधियां

85. निधियों का विनिहित :–(1) सहकारी सोसाइटी अपनी निधियों का विनिहित या निक्षेप :–

(क) डाक घर बचत बैंक में;

(ख) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, की धारा 20 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी में;

(ग) किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के अंशों या प्रतिभूतियों में;

(घ) बैंककारी का कारबार करने वाले किसी बैंक में, जो रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित हो; या

(ङ) नियमों द्वारा विहित किसी अन्य रीति में; कर सकती है।

*(2) सहकारी उधार संरचना किसी विनियामक वित्तीय संस्था में अपनी निधियां विनिहित कर सकती है।

86. निधियां विभाज्य नहीं :–सहकारी सोसाइटी के लाभ में से सृष्ट निधियों का कोई भी भाग उसके सदस्यों के बीच बोनस या लाभांश के रूप में या अन्यथा विभक्त नहीं किया जाएगा।

87. लाभों का वितरण :– (1) सहकारी सोसाइटी किसी वर्ष के लेखा–परीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार लाभों में तथा पिछले वर्षों के ऐसे अवशिष्ट लाभों को ऐसे परिमाण तक और ऐसी शर्तों के अधीन सदस्यों के बीच वितरित कर सकती है, जो नियमों या उप–विधियों द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु शर्त यह है कि –

(क) किसी वर्ष के लाभ के कम से कम दस प्रतिशत को आरक्षित निधि में तथा डूबंत एवं शंकास्पद ऋण निधि में डाला जाए;

(ख) लाभ के पांच प्रतिशत तक को सहकारी शिक्षा निधि में जमा किया जाए; *[ ]

(ग) लाभों की ऐसी प्रतिशतता ऐसी अन्य निधियों में जमा की जाए जो उपविधियों में या रजिस्ट्रार द्वारा विहित की जाए; *[और]

*(घ) ऐसे लाभ ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी प्रतिशतता में भी उपयोग किए जा सकते हैं जो विहित किए जाएं।

(2) रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी से अपेक्षा कर सकता है कि वह उपधारा (1) के अधीन बताई गई अपनी सारी निधि या उसके भाग को सोसाइटी के कारबार में न लगाए।

**व्याख्या:–* (1) सहकारी सोसाइटी के शुद्ध लाभ, मरम्मत, किराया, कर तथा अवमूल्यन तत्समय लागू बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में किसी विधि के अधीन कर्मचारियों को भुगतानयोग्य बोनस तथा ऐसे बोनस के लिए समकरण निधि तथा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अधीन आयकर भुगतान तथा अनुमोदित दान के लिए उपबंध विकास छूट, विकास निधि, डूबी हुई ऋण निधि, मूल्य पूंजी विमोचन निधि, निवेश अस्थिरता निधि के लिए उपबन्ध, कर्मचारियों के लिये सेवानिवृति लाभों के लिये उपबंध तथा डूबे हुए ऋण को उपलब्ध कराने या बट्टे खाते डालने के बाद तथा हानियां जो लाभ में से सृजित किसी निधि के विरुद्ध समायोजित नहीं की जा सकती सहित राशियां जो अतिदेय, स्थापना प्रभार, ऋणों तथा निक्षेपों पर भुगतानयोग्य ब्याज, लेखा परीक्षा फीस, कार्यकरण खर्चों के सम्बन्ध में प्रोद्भूत तथा प्रोद्भूत होने वाले सभी ब्याज वर्ष के लिए कुल लाभ में से कटौती करते हुए संगणित किए जाएंगे।

(2) सोसाइटी पूर्वगामी वर्ष में प्रोद्भूत ब्याज वित्तीय वर्ष के लिए शुद्ध लाभ में जमा कर सकती है जो वास्तव में चालू वर्ष के दौरान वसूल किया गया हो।

**(3) सहकारी सोसाइटी के शुद्ध परिसंपत/स्वामित्वाधीन निधियों का सुधार करने के लिए अपेक्षित किन्हीं निधियों में भिन्न अंशदान के लिये सहकारी उधार संरचना पर कोई भी बाध्यता नहीं होगी:

परन्तु रजिस्ट्रार लाभांश के भुगतान के बारे में राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से मार्गदर्शन तैयार करेगा।

88. कतिपय नुकसानों को पूरा करने के लिये गारन्टी निधियों की व्यवस्था :–(1) सरकार इसके लिए सक्षम होगी कि वह ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसे नुकसानों को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए, जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा अचल सम्पत्ति के ऐसे हकों पर, जो बाद में दोषपूर्ण पाए जाएं, दिए जा रहे ऋणों के फलस्वरूप हों, या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए जिनके लिए सरकार की राय में एक पृथक गारंटी निधि व्यवस्थित करना या सृष्ट करना आवश्यक हो, एक या अधिक गारंटी निधियों को गठित करे।

(2) ऐसी सोसाइटी ऐसी निधियों में ऐसी दर पर, अंशदान करेगी और ऐसी निधियों का गठन, रख–रखाव और उपयोग ऐसे निबन्धनों द्वारा शासित होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

***89. सम्पत्ति का अर्जन या व्ययन :–** कोई भी सहकारी सोसाइटी, रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भूमि का क्रय, अर्जन, पट्टा, विक्रय नहीं करेगी या सोसाइटी के किसी भवन या अन्य अचल आस्तियों का निर्माण नहीं करेगी।

90. डूबंत ऋणों का बट्टे खाते डालना :– कोई भी सहकारी सोसाइटी, रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी के बिना, उसे देय किसी ऋण या अन्य राशि अथवा किन्हीं भी आस्तियों को पूर्ण या आंशिक रूप में बट्टे खाते नहीं डालेगी।

अध्याय–XII

कमज़ोर सोसाइटियों का पुनर्वास

****91. पुनर्वास निधि का बनाना :–** (1) प्रत्येक शिखर तथा केन्द्रीय सोसाइटी, यदि रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित हो, अपने लाभों में से, रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में, पुनर्वास निधि स्थापित करेगी।

(2) केन्द्रीय सोसाइटी, जो पुनर्वास निधि स्थापित करती है, उसे उस शिखर सोसाइटी को अन्तरित करेगी जिसकी वह सदस्य है।

92. निधि में जमा :– (1) पुनर्वास निधि को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।

*(2) प्रत्येक शिखर सोसाइटी, पुनर्वास निधि से दिए गए कर्जों की वापसी के कारण उसे प्राप्त हुए सारे धन को पुनर्वास निधि में जमा कराएगी।

93. निधि का उपयोग :– कोई शिखर *[ ] सोसाइटी अपनी ऐसी सदस्य सोसाइटियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हों, कर्जों और सहायकी के रूप में सहायता देने के लिए पुनर्वास निधि का उपयोग ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर करेगी जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित की गई हों।

अध्याय–XIII

बीमाकृत सहकारी बैंकों के लिए विशेष उपबन्ध

94. बीमाकृत सहकारी बैंकों के लिए विशेष उपबन्ध :– **[इस अधिनियम की धारा 34 में यथा उपबन्धित के सिवाए] बीमाकृत सहकारी बैंक की दशा में :–

(i) बैंक के परिसमापन के लिए कोई आदेश या बैंक के बारे में समझौते या व्यवस्था की या समामेलन या पुनर्निमाण (विभाजन या पुनर्गठन सहित) की स्कीम की मंजूरी वाला कोई आदेश, केवल भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी के साथ ही किया जा सकता है;

(ii) बैंक के परिसमापन का आदेश रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा, यदि निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, की धारा 13–घ में निर्दिष्ट परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो;

(iii) यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में या बैंक के कार्यकलाप को उस रीति में किये जाने से रोकने के लिये जो निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिये हानिकारक हो, या बैंक के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिये, ऐसा अपेक्षित हो तो बैंक की प्रबन्ध समिति या अन्य प्रबन्ध निकाय (किसी भी नाम से पुकारा जाने वाला) के हटाए जाने के लिये तथा उसके लिये ऐसी अवधि या अवधियों के लिये जो कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक न हों जैसे कि समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रशासक की नियुक्ति किए जाने के लिये रजिस्ट्रार द्वारा आदेश किया जाएगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् नई समिति की प्रथम बैठक की तिथि के ठीक पूर्व दिन तक अपने पद पर बना रहेगा;

(iv) खण्ड (i), (ii) अथवा (iii) में निर्दिष्ट ऐसे आदेश के विरुद्ध जो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी के साथ या अध्यपेक्षा पर किया गया हो कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकेगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और ऐसा आदेश या मंजूरी किसी भी रीति में प्रश्नगत नहीं हो सकेगी;

(v) समापक या बीमाकृत सहकारी बैंक या अन्तरिती बैंक, जैसी भी स्थिति हो; निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, के अधीन स्थापित, निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम को उस अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, सीमा तक और रीति में राशि वापस करने के लिये बाध्यताधीन होगा।

व्याख्या :– (i) इस धारा के प्रयोजनार्थ "सहकारी बैंक" से अभिप्राय है, निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, में यथापरिभाषित बैंक;

(ii) "बीमाकृत सहकारी बैंक"से अभिप्राय है, कोई सोसाइटी जो निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, के उपबन्धों के अधीन बीमाकृत बैंक है;

(iii) बीमाकृत सहकारी बैंक के सम्बन्ध में "अन्तरिती बैंक" से अभिप्राय है, कोई सहकारी बैंक (जो इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी है)–

(क) जिसके साथ ऐसा बीमाकृत सहकारी बैंक समामेलित किया गया है; या

(ख) जिसको, ऐसे बीमाकृत सहकारी बैंक की आस्तियां और दायित्व अन्तरित किए गए हैं; या

(ग) जिस में ऐसा बीमाकृत सहकारी बैंक इस अधिनियम की धारा 13 और 14 के उपबन्धों के अधीन विभाजित या संपरिवर्तित किया गया है;

(iv) "रिजर्व बैंक" से अभिप्राय है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक; और

(v) "निगम" से अभिप्राय है, निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, की धारा 3 के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम।

अध्याय–XIV

लेखापरीक्षा, जांच, निरीक्षण तथा अधिभार

95. लेखापरीक्षा:– (1) सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण उन लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षण करने वाली फर्मों की न्यूनतम योग्ताएं तथा अनुभव विहित करेगी जो सहकारी सोसाइटियों के लेखापरीक्षणों के लिए पात्र होंगे/होंगी, लेखापरीक्षण करने वाली फर्मों के पैनल को अनुमोदित करेगी तथा उनके पारिश्रमिक भी नियत करेगी।

(2) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुसार वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर, वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षकों या पैनालित लेखापरीक्षण फर्मों से इसके लेखे लेखा परिक्षित करवाएगी। ऐसा करने में असफल रहने पर, रजिस्ट्रार, सोसाइटी के खर्चे पर लेखे लेखा परीक्षित करवाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति सोसाइटी की लेखापरीक्षण फर्म के रूप में नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगा, यदि ऐसी फर्म का स्वत्वधारी, भागीदार या निदेशक,–

(क) उस सहकारी सोसाइटी का अधिकारी, सदस्य या कर्मचारी है ; अथवा

(ख) उस सहकारी सोसाइटी का ऋणी है ; अथवा

(ग) पांच हजार से अधिक राशि के लिये उस सहकारी सोसाइटी हेतु किसी तीसरे व्यक्ति की ऋणिता के सम्बन्ध में कोई गारन्टी दी गई है या कोई प्रतिभूति उपलब्ध करवाई गई है।

(4) यदि लेखापरीक्षण फर्म उसकी नियुक्ति के बाद उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किन्हीं निरहर्ताओं के अध्यधीन हो गई है तो यह समझा जाएगा कि इसने ऐसे रूप में अपना पद रिक्त कर दिया है।

(5) उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा में आस्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन, तुलनपत्र, लाभ तथा हानि लेखा, अतिशोध्य ऋण, यदि कोई हो, कि जांच, नकद शेष तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन तथा इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों, उपविधियों के उपबन्धों तथा सहकारी सोसाइटी के कामकाज हेतु लागू विभिन्न अन्य विधियों का संप्रेक्षण शामिल होगा।

(6) सहकारी सोसाइटी के लेखों का लेखापरीक्षण करने वाले व्यक्ति को ऐसी सोसाइटी की बहियों, लेखों, कागजपत्र, वाऊचरों, स्टाक तथा अन्य सम्पत्ति तक अबाध पहुंच होगी तथा इसके नकद शेष तथा प्रतिभूतियों के सत्यापन हेतु अनुज्ञात किया जाएगा।

(7) समिति के सदस्य, प्रबन्धक, प्रशासक या सोसाइटी का कोई अधिकारी, कर्मचारी या अभिकर्ता सहकारी सोसाइटी के लेखों का लेखापरीक्षण करने वाले व्यक्ति को यथा अपेक्षित इसके संव्यवहारों तथा काम–काज के सम्बन्ध में सभी सूचना प्रस्तुत करेगा।

(8) रजिस्ट्रार या उपधारा (2) के अधीन उस द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सोसाइटी के लेखों की लेखापरीक्षा करने की जहां आवश्यक हो ;–

(क) इसकी लेखापरीक्षा के समय सोसाइटी के भूतपूर्व या वर्तमान किसी ऐसे अधिकारी, अभिकर्ता सेवक या सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह सोसाइटी के संव्यवहारों या इसके कार्यकलापों के प्रबन्ध के बारे में मूल्यवान जानकारी दे सकता है को बुलाने की शक्ति होगी ;

और

(ख) सोसाइटी के कार्यकलाप से सम्बन्धित किसी बही या दस्तावेज या किसी नकदी या प्रतिभूतियों से सम्बन्धी किसी ऐसे अधिकारी, अभिकर्ता, सेवक या सदस्य द्वारा, जिसके कब्जे में ऐसी बहियां, दस्तावेज, नकदी या प्रतिभूतियां हैं, प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करने और लेखापरीक्षा के दौरान गम्भीर अनियमितताओं का पता लगने की दशा में उन्हें अपनी अभिरक्षा में लेने की शक्ति होगी।

(9) यदि, लेखापरीक्षा के समय सोसाइटी के लेखे पूर्ण नहीं हैं, तो रजिस्ट्रार या उस द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी सोसाइटी के लेखे इस सम्बन्ध में लेखा प्रक्रिया के अनुसार सोसाइटी के खर्च पर लिखित तथा अनुरक्षित करवा सकता है।

(10) जहां लेखे उपधारा (9) के अधीन लिखित तथा अनुरक्षित करवाए गए हैं, रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, सोसाइटी को उस द्वारा यथा निर्धारित ऐसी लागतों तथा प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा करते हुये आदेश कर सकता है।

(11) शिखर सोसाइटियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट जिनका वार्षिक आवर्त एक हजार करोड़ रुपये से अधिक है राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

(12) रजिस्ट्रार, रीति जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षण फर्मों द्वारा लेखापरिक्षित सोसाइटियों की सांकेतिक परीक्षा के लिये आदेश कर सकता है।

(13) रजिस्ट्रार, रिजर्व बैंक के अनुरोध पर प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों से भिन्न सहकारी उधार संरचना की विशेष लेखापरीक्षा भी संचालित करवाएगा तथा रिर्जव बैंक राष्ट्रीय बैंक को ऐसे विशेष लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की प्रति पृष्ठांकित करेगा।

(14) किसी सहकारी सोसाइटी से देय, लेखापरीक्षा फीस, यदि कोई हो, धारा 104 में यथा उपबंधित उसी रीति में वसूली योग्य होगी।

96. त्रुटियों का परिशोधन :– (1) **लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षण फर्म,** ऐसी तिथि तक जो विहित की जाए, सहकारी सोसाइटी और रजिस्ट्रार को लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिस में निम्नलिखित विवरण शामिल होगाः–

(क) प्रत्येक लेन–देन जो उसे विधि या नियमों या उपविधियों के प्रतिकूल प्रतीत होता है;

(ख) प्रत्येक राशि जो लेखे में लाई जानी चाहिये थी परन्तु नहीं लाई गई है;

(ग) कमी की या हानि की राशि, जिसकी आगे जांच की जानी अपेक्षित है;

(घ) सोसाइटी का कोई धन या सम्पत्ति जो दुर्विनियोग की गई या किसी व्यक्ति द्वारा कपटपूर्वक रखी गई प्रतीत होती है;

(ङ) कोई भी आस्तियां जो उसे डूबी या शंकास्पद प्रतीत होती हैं; और

(च) कोई अन्य मामला जो रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) **लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षण फर्म** द्वारा बताई गई त्रुटियों या अनियमितताओं का स्पष्टीकरण देने के लिये सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रार द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा और उसके पश्चात्, सोसाइटी ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो रजिस्ट्रार निर्दिष्ट करे, ऐसी त्रुटियों और अनियमितताओं को दूर करेगी और उस पर की गई कार्रवाई की सूचना रजिस्ट्रार को देगी।

97. सोसाइटियों का निरीक्षण :– **(1) रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी सहकारी सोसाइटी का निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण के प्रयोजन के लिये उस सोसाइटी की सभी बहियों, लेखों, कागजपत्रों, वाउचरों, प्रतिभूतियों, स्टाक तथा अन्य सम्पत्ति तक हर समय पहुंच प्राप्त होगी और वह निरीक्षण के दौरान गम्भीर अनियमितताओं का पता लगने की दशा में उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले सकता है और उसे सोसाइटी की रोकड़ बाकी का सत्यापन करने की तथा रजिस्ट्रार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए समिति का अधिवेशन या साधारण अधिवेशन बुलाने की शक्ति होगी। सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी या सदस्य को ऐसी जानकारी देनी होगी जो उसे अपेक्षित हो।

**(2) अपैक्स सोसाइटी तथा केन्द्रीय सोसाइटी प्रत्येक सम्बद्ध सोसाइटी का वार्षिक निरीक्षण करेंगी तथा उनके प्रशासनिक कार्य तथा वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करेंगी।

98. रजिस्ट्रार द्वारा जांच :– (1) रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा पर या समिति के अधिकांश सदस्यों द्वारा या कम से कम एक–तिहाई सदस्यों द्वारा आवेदन किये जाने पर, किसी सोसाइटी के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति की जांच कर सकता है या अपने द्वारा लिखित आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जांच करने के लिये निदेश दे सकता है।

(2) रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:–

(क) उसे परीक्षा के प्रयोजनों के लिये हर समय सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षागत बहियों, लेखों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच प्राप्त होगी और वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी बहियां, लेखे, दस्तावेज, प्रतिभूतियां, नकदी या अन्य सम्पत्तियां हैं या जो उनकी अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी है, उस जिले में जिसके भीतर सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय है, किसी भी स्थान पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिये बुला सकता है और यदि वह आवश्यक समझता है तो ऐसी बहियों या अभिलेखों को उन की रसीद देने के पश्चात्, अभिरक्षा में ले सकता है:

परन्तु इस प्रकार अभिगृहीत बहियां, लेखे या दस्तावेजें उसके द्वारा केवल उतने समय तक ही रखी जाएंगी, जितना उसकी परीक्षा के लिये और जांच के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो:

परन्तु यह और कि, ऐसी बहियां, लेखे या दस्तावेजें निकटतम उच्चतर प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय एक समय पर साठ दिन से अधिक के लिये नहीं रखी जाएंगी;

(ख) वह, सोसाइटी के साधारण अधिवेशन के लिये नोटिस की अवधि विनिर्दिष्ट करने वाले किसी नियम या उपविधि के होते हुए भी, सोसाइटी के मुख्यालय में ऐसे समय और स्थान पर, ऐसे विषयों पर विचार करने के लिये जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, साधारण अधिवेशन बुलाने के लिये सोसाइटी के अधिकारियों से अपेक्षा कर सकता है और जहां सोसाइटी के अधिकारी ऐसा अधिवेशन बुलाने से इन्कार करते हैं या इस में असफल रहते हैं, वहां उसे स्वयं अधिवेशन बुलाने की शक्ति प्राप्त होगी;

(ग) वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके सम्बन्ध में उसे युक्तियुक्त रूप में यह विश्वास हो कि वह सोसाइटी के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई जानकारी रखता है सोसाइटी के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा के किसी स्थान पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिये बुला सकता है और ऐसे व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) अधीन बुलाए गए किसी अधिवेशन को सोसाइटी की उपविधियों के अधीन बुलाए गए साधारण अधिवेशन की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और इस की कार्यवाहियां ऐसी उपविधियों द्वारा विनयमित की जाएंगी।

(4) रजिस्ट्रार, जांच की रिपोर्ट का संक्षिप्त सार सोसाइटी, सम्बद्ध वित्तद संस्थाओं, यदि कोई हों, और उस व्यक्ति को, जिसके अनुरोध पर जांच की जाती है, संसूचित करेगा।

99. ऋणी सोसाइटियों की बहियों का निरीक्षण :– (1) रजिस्ट्रार, किसी सहकारी सोसाइटी के किसी लेनदार के आवेदन पर, सोसाइटी की बहियों का निरीक्षण करेगा या अपने द्वारा लिखित आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को निरीक्षण करने के लिये निर्दिष्ट करेगा:

परन्तु ऐसा कोई निरीक्षण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक आवेदक–

(क) रजिस्ट्रार का समाधान नहीं कर देता कि ऋण देय है और उसने उसके भुगतान की मांग की है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसकी तुष्टि नहीं हुई है; और

(ख) रजिस्ट्रार के पास, प्रस्थापित निरीक्षण के खर्चे के लिये प्रतिभूति के रूप में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित राशि जमा नहीं कर देता।

(2) रजिस्ट्रार ऐसे किसी भी निरीक्षण का परिणाम लेनदार को संसूचित करेगा।

100. जांच के खर्च :– जहां धारा 98 के अधीन जांच की जाती है या धारा 99 के अधीन निरीक्षण किया जाता है वहां रजिस्ट्रार खर्च या खर्च का ऐसा भाग, जिसे वह उचित समझे, सोसाइटी, जांच या निरीक्षण करने की मांग करने वाले सदस्यों या लेनदार, सोसाइटी के अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों और सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों के बीच प्रभाजित करने के लिये आदेश कर सकता है:

परन्तु–

(क) इस धारा के अधीन खर्च के प्रभाजन के लिये कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसके अधीन खर्च देने के लिये दायी सोसाइटी या व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो; और

(ख) रजिस्ट्रार उस आधार का, जिस पर खर्च प्रभाजित किये जाने हैं, लिखित कथन करेगा।

101. अधिभार :– (1) यदि रजिस्ट्रार को पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसे किसी सहकारी सोसाइटी का संगठन या प्रबन्ध सौंपा गया है या सौंपा गया था, या जो सोसाइटी की समिति का सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी है या किसी समय रहा है, इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के प्रतिकूल कोई भुगतान किया है या कदाचार द्वारा या जानबूझ कर उपेक्षा द्वारा सोसाइटी की आस्थियों में किसी प्रकार की कमी कारित की है या सोसाइटी के किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुविर्नियोग किया है या उसे कपटपूर्वक प्रतिधारित किया है, या साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति की तत्परता की उपेक्षा करके या सोसाइटी के हितों के विरुद्ध कार्य करते हुए सोसाइटी की हानियां कारित की हैं या लाभों का ह्रास किया है, तो रजिस्ट्रार, स्वप्रेरण से या समिति, समापक या किसी लेनदेनदार द्वारा आवेदन किये जाने पर, ऐसे व्यक्ति के आचरण की स्वयं जांच कर सकता है या अपने द्वारा लिखित आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जांच करने के लिये निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई जांच की जाती है, वहां रजिस्ट्रार संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, धन या सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को ब्याज सहित ऐसी दर पर वापस करने या लौटाने अथवा उस परिमाण तक अभिदाय और खर्च अथवा प्रतिकार के भुगतान की अपेक्षा करने वाला लिखित आदेश कर सकता है, जो रजिस्ट्रार न्यायसंगत और साम्यापूर्ण समझे :

*परन्तु ऐसी तिथि, जिसको ऐसा कृत अथवा अकृत किया गया था, से पांच वर्ष की अवधि के भीतर के सिवाय किसी व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई जांच की जाती है के संबंध में किसी कृत अथवा अकृत के संबंध में इस धारा के अधीन कोई भी अधिभार कार्यवाहियां प्रारम्भ नहीं की जाएंगी। तथापि, किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के सम्मुख इस धारा के अधीन लम्बित कोई भी कार्यवाहियां इस प्रकार जारी रहेंगी मानो हरियाणा सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2006, के उपबंध पारित ही नहीं किए गए थे।

अध्याय–XV
विवादों का निपटारा

102. मध्यस्थता के लिये विवाद :– (1) उस समय लागू किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, **[यदि सोसाइटी के वेतन पाने वाले कर्मचारी के संबंध में सेवा मामलों से संबंधित अनुशासनिक कार्यवाही या विवाद से भिन्न कोई विवाद किसी सहकारी सोसाइटी के **[.]*** गठन, प्रबन्ध या कारबार] के विषय में कोई विवाद–

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों, तथा सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच; या

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, अथवा सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों और सोसाइटी, उसकी समिति अथवा सोसाइटी के किसी भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी अथवा समापक के बीच; या

(ग) सोसाइटी या उसकी समिति और किसी भूतपूर्व समिति, किसी अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी या किसी भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी या सोसाइटी के किसी मृत अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी के नाम निर्देशितियों, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के बीच; या

(घ) सोसाइटी और किसी सोसाइटी के बीच, किसी सोसाइटी तथा अन्य सोसाइटी के समापक के बीच या एक सोसाइटी के समापक और अन्य सोसाइटी के समापक के बीच;

उत्पन्न होता है, तो ऐसा विवाद विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार की मध्यस्थता हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा और किसी न्यायालय को ऐसे विवाद के बारे में कोई वाद या अन्य कार्यवाही ग्रहण करने के लिए अधिकारिता प्राप्त नहीं होगीः

****परन्तु धारा 101 के अधीन लम्बित या निष्कर्षित कार्यवाहियां सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार के विषय में कोई विवाद नहीं बनेगी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार के विषय में विवाद समझा जाएगा, अर्थात्:–

(क) किसी सदस्य या किसी मृत सदस्य के नाम–निर्देशितियों, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों से उसको देय किसी ऋण या मांग के लिए सोसाइटी का दावा, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की जाए या नहीं;

(ख) मूल ऋणी के विरुद्ध किसी प्रतिभू का कोई दावा जहां सोसाइटी ने प्रतिभू से, मूल ऋणी के व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप, मूल ऋणी से उसको देय किसी ऋण या मांग के बारे में कोई राशि वसूल की है, चाहे ऐसा ऋण या ऐसी मांग स्वीकार की जाती है या नहीं;

(ग) सोसाइटी के किसी अधिकारी के निर्वाचन के सम्बन्ध में उत्पन्न कोई विवाद।

(3) यदि प्रश्न उठता है कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट कोई विवाद किसी सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार के विषय में विवाद है या नहीं तो उस पर रजिस्ट्रार का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(4) समिति सदस्य या सोसाइटी के किसी अधिकारी के निर्वाचन के सम्बन्ध में उत्पन्न कोई विवाद रजिस्ट्रार द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक वह निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि से तीस दिन के भीतर उसे निर्दिष्ट नहीं किया जाता।

103. मध्यस्थता के लिये विवाद का निर्देश :– (1) रजिस्ट्रार, धारा 102 के अधीन मध्यस्थता के लिए विवाद का निर्देश प्राप्त करने पर–

(क) विवाद का विनिश्चय स्वयं कर सकता है;

(ख) निपटान के लिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित कर सकता है, जिसमें सरकार द्वारा उस निमित शक्तियां विनिहित की गई हैं; या

(ग) निपटान के लिए उसे मध्यस्थ के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) रजिस्ट्रार किसी अधिकारी से, जो रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, कोई निर्देश वापस ले सकता है और उसे किसी अन्य अधिकारी को निपटान के लिए सौंप सकता है, जिसमें रजिस्ट्रार की शक्तियां विनिहित की गई हों।

(3) रजिस्ट्रार उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अन्तरित या उसी उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन निर्दिष्ट किसी निर्देश को वापस ले सकता है और उसका विनिश्चय स्वयं कर सकता है या उसे किसी अन्य मध्यस्थ को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) रजिस्ट्रार या कोई अन्य व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन कोई विवाद विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, विवाद का विनिश्चय होने तक ऐसा अन्तर्वर्ती आदेश कर सकता है, जिसे वह न्याय के हित में आवश्यक समझे।

104. देय राशियों के लिये प्रमाण–पत्र :– (1) धारा 102 तथा 103 में किसी बात के होते हुए भी, कोई वित्तद संस्था अथवा सहकारी सोसाइटी किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, अधिकारियों, भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा उसे देय किसी बकाया राशि की वसूली के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकती है और ऐसे आवेदन के साथ ऐसी राशियों के बारे में लेखों का विवरण संलग्न करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, सम्बद्ध सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों, अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस राशि की वसूली के लिए एक प्रमाण–पत्र देने का आदेश कर सकता है जो उसमें ऐसे बकायों के रूप में देय बताई गई हो।

(3) जब रजिस्ट्रार की सन्तुष्टि हो जाती है कि सहकारी समिति अपने सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों, अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई करने में असफल रही है, तो रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र देने की कार्यवाही कर सकता है।

(4) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र उसमें देय बकायों का अन्तिम और निश्चायक सबूत होगा और वे **[इस अधिनियम की धारा 110 के उपबन्धों के अनुसार] वसूली योग्य होंगे।

अध्याय–XVI

सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन

105. परिसमापन आदेश :– (1) *[धारा 95 के अधीन लेखा परीक्षा या धारा 98 के] अधीन की गई जांच के पश्चात् धारा 97 या 99 के अधीन किए गए निरीक्षण पर अथवा किसी सहकारी सोसाइटी के तीन–चौथाई से अन्यून सदस्यों से आवेदन की प्राप्ति पर, यदि रजिस्ट्रार की राय है कि सोसाइटी का परिसमापन करना चाहिए तो वह उसका परिसमापन निर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी कर सकता है :

***परन्तु रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड के परिसमापन सहित रिजर्व बैंक के विनियामक आदेशों के कार्यान्वयन को तथा रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार दिए गए परामर्श के एक मास के भीतर समापक की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा।

(2) रजिस्ट्रार निम्नलिखित स्थितियों में स्वप्रेरणा से किसी सहकारी सोसाइटी का परिसमापन निर्दिष्ट करते हुए आदेश कर सकता हैः–

(क) जहां उसके सदस्यों की संख्या धारा 5 में विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो गई है; या

(ख) जहां सोसाइटी ने काम प्रारम्भ नहीं किया है या कृत्य करना बन्द कर दिया है।

(3) रजिस्ट्रार किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश किसी भी समय किसी भी ऐसी दशा में रद्द कर सकता है, जहां उसकी राय, में सोसाइटी बनी रहनी चाहिए।

(4) इस धारा के अधीन आदेशों की एक प्रति रजिस्ट्री डाक द्वारा सोसाइटी और उन वित्तद संस्थाओं को, यदि हों, जिनकी सोसाइटी सदस्य है, भेजी जाएगी।

*(5) सोसाइटी की कार्यवाहियों का परिसमापन, जब तक रजिस्ट्रार द्वारा अवधि नहीं बढ़ाई जाती है, परिसमापन के आदेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगाः

परन्तु रजिस्ट्रार प्रथम बार के लिए एक वर्ष तथा संपूर्ण रूप से दो वर्ष से अधिक अवधि नहीं बढ़ाएगा।

*(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व के सिवाय जहां सोसाइटी सदस्यों के आवेदन पर परिसमापन प्रक्रिया के अधीन लाई जाती है, वहां रजिस्ट्रार सम्बद्ध सोसाइटी तथा वित्तीय संस्था को, यदि कोई हो, नोटिस जारी करेगा तथा कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देगा कि क्यों न सोसाइटी को परिसमापन प्रक्रिया के अधीन लाया जाए।

106. परिसमापन आदेश समापक :– (1) जहां रजिस्ट्रार ने धारा 105 के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन के लिए आदेश किया है, वहां वह इस प्रयोजन के लिए कोई समापक नियुक्त करेगा और उसका पारिश्रमिक नियत करेगा।

(2) समापक, सोसाइटी की सम्पूर्ण सम्पत्ति, चीजबस्त, और अनुयोज्य दावों को, जिनकी सोसाइटी हकदार है या हकदार प्रतीत होती है, अपनी अभिरक्षा में या अपने नियन्त्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, चीजबस्त और दावों को हानि, या क्षय या नुकसान से बचाने के लिए ऐसे कदम उठाएगा जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे। वह रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से सोसाइटी का कारबार, जहां तक आवश्यक हो चला सकता है।

(3) जहां धारा 114 के अधीन अपील की जाती है, वहां धारा 105 के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन के लिए किया गया कोई आदेश उसके पश्चात् तब तक लागू नहीं होगा, जब तक अपील का निपटान नहीं हो जाताः

परन्तु समापक को उपधारा (2) में उल्लिखित सम्पत्ति, चीजबस्त और अनुयोग्य दावों की अभिरक्षा या नियन्त्रण प्राप्त रहेगा और उसे उपधारा में निर्दिष्ट कार्यवाही करने का प्राधिकार प्राप्त होगा।

(4) जहां अपील में किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश रद्द कर दिया जाता है, वहां सोसाइटी की सम्पत्ति, चीजबस्त और अनुयोज्य दावे सोसाइटी में पुनर्निहित हो जाएंगे।

107. समापक की शक्तियां :–(1) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी की, जिसके बारे में परिसमापन के लिए कोई आदेश किया गया है, सम्पूर्ण आस्तियां धारा 106 के अधीन नियुक्त समापक में, उस तिथि से, जिसको आदेश प्रभावी होता है, निहित हो जाएंगी और समापक को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह ऐसी आस्तियां, विक्रय द्वारा या अन्यथा वसूल करे।

(2) रजिस्ट्रार के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, ऐसे समापक को निम्नलिखित के लिए भी शक्तियां प्राप्त होंगीः–

(क) सहकारी सोसाइटी की ओर से अपने पद के नाम से बाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करना और उनका प्रतिवाद करना;

(ख) सदस्यों या भूतपूर्व सदस्य द्वारा या मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों की सम्पदाओं द्वारा अथवा किसी अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा सोसाइटियों की आस्तियों में किए जाने वाले या किए जाने के लिए बकाया अभिदाय का (देय ऋणों और समापन के खर्चों सहित) समय–समय पर अवधारण करना;

(ग) सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध सभी दावों का अन्वेषण करना और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए दावेदारों के बीच उठने वाले प्राथमिकता के प्रश्न का विनिश्चय करना;

(घ) सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध दावों का जिनके अन्तर्गत परिसमापन की तिथि तक ब्याज भी है, उनकी अपनी–अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार, यदि कोई हों, सोसाइटी की आस्तियों के अनुसार पूर्णतः या अनुपाततः भुगतान करना, दावों के भुगतान के पश्चात् अधिशेष, यदि कोई हो, ऐसे परिसमापन आदेश की तिथि से उसके द्वारा नियत किन्तु किसी भी दशा में संविदा दर से अनधिक दर पर ब्याज के भुगतान में लगाया जाना;

(ङ) यह अवधारित करना कि समापन का खर्च किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में वहन किया जाना है;

(च) यह अवधारित करना कि क्या कोई व्यक्ति सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य का नामनिर्देशिती है;

(छ) सोसाइटी की आस्तियों के संग्रहण और वितरण के विषय में ऐसे निदेश देना, जो सोसाइटी के कार्यकलाप के परिसमापन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों;

(ज) सोसाइटी के कारबार को वहां तक चलाना, जहां तक उसके लाभप्रद परिसमापन के लिए आवश्यक हो;

(झ) लेनदारों या लेनदार होने का दावा करने वाले अथवा वर्तमान या भावी कोई दावा रखने वाले या रखने का अभिकथन करने वाले व्यक्तियों के साथ, कोई ऐसा समझौता या ठहराव करना, जिसके द्वारा सोसाइटी दायी बन सकती है;

(ञ) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समझौता या ठहराव करना, जिसके और सोसाइटी के बीच कोई विवाद विद्यमान है, और ऐसे किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करना;

(ट) सोसाइटी के सदस्य से परामर्श करके सोसाइटी के विरुद्ध दावों के सम्बन्ध में भुगतान करने के बाद बचे अधिशेष का, यदि कोई हों, ऐसी रीति में व्ययन करना, जो विहित की जाए; और

(ठ) सोसाइटी और सहकारी सोसाइटी के किसी अभिदायी या अभिकथित अभिदायी या अन्य ऋणियों या उसके प्रति अपने दायित्व की आशंका करने वाले व्यक्तियों के बीच वर्तमान या भावी, निश्चित या समाश्रित, अस्तित्वयुक्त या अनुमानित अस्तित्वयुक्त सभी मांगों या मांगों के दायित्वों तथा ऋणों और ऋणों में शक्य या परिणम्य दायित्वों, और सभी दावों तथा सोसाइटी की आस्तियों या परिसमापन से किसी भी प्रकार सम्बन्धित या उनको प्रभावित करने वाले सभी प्रश्नों के बारे में ऐसे निबन्धनों पर, जिन पर सहमति हो, समझौता करना और ऐसी किसी मांग, दायित्व, ऋण या दावे का उन्मोचन करने के लिए कोई प्रतिभूति लेना और उनके बारे में सम्पूर्ण उन्मोचन प्रदान करना।

(3) जब किसी सहकारी सोसाइटी के कार्यकलाप का परिसमापन कर दिया जाए, तब समापक रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा और सोसाइटी के अभिलेखों को ऐसे स्थान पर जमा करेगा, जो रजिस्ट्रार निर्दिष्ट करे।

108. अभिदाय की प्राथमिकता :– प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920, में किसी बात के होते हुए भी, किसी समापक द्वारा निर्धारित अभिदाय, दिवाला कार्यवाहियों में प्राथमिकता में क्रम में, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय ऋणों के तुरन्त बाद स्थान पाएगा।

109, पंजीकरण रद्द किया जाना :– (1) रजिस्ट्रार, धारा 107 की उपधारा (3) के अधीन समापक द्वारा उसको की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् सहकारी सोसाइटी का पंजीकरण रद्द करने का आदेश कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश, यदि कोई हो, उन वित्तद संस्थाओं को, जिनकी वह सोसाइटी सदस्य थी, भेजा जाएगा और यथा विहित अधिसूचित किया जा सकता है।

अध्याय–XVII

अधिनिर्णयों, डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन

110. आदेशों आदि का निष्पादन :– रजिस्ट्रार या मध्यस्थ या समापक द्वारा धारा 95, 100, 101, 103, 104, 107, 113, 114 और 115 के अधीन किया गया प्रत्येक विनिश्चय, अधिनिर्णय या आदेश–

(क) सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा और उसी रीति में निष्पादित किया जाएगा, जिसमें ऐसे न्यायालय की डिक्री निष्पादित की जाती है;

(ख) रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त सशक्त उसके अधीनस्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी की, जिसके विरुद्ध आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय अभिप्राप्त या पारित किया गया है, किसी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा या कुर्की के बिना विक्रय द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।

*(ग) लोपित

111. आदेशों आदि से पूर्व कुर्की :– जहां रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि धारा 95, 100, 101, 103, 104, 107, 113, 114 और 115 के अधीन किसी निर्देश का कोई पक्षकार, किसी ऐसे विनिश्चय, अधिनिर्णय या आदेश के निष्पादन को विफल या विलम्बित करने के आशय से–

(क) सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, या

(ख) सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को रजिस्ट्रार की अधिकारिता की स्थानीय परिसीमाओं से हटाने वाला है,

तो रजिस्ट्रार, जब तक उसकी सन्तुष्टि के लिए पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दे दी जाती, उक्त सम्पत्ति या उसके ऐसे भाग की, जिसे वह आवश्यक समझता है, कुर्की का निदेश कर सकता है। ऐसी कुर्की उस समय तक वैध होगी जब तक ऐसे आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय की तुष्टि नहीं हो जाती।

112. रजिस्ट्रार का उसके द्वारा सशक्त व्यक्ति का सिविल न्यायालय होना :– रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई व्यक्ति, जब वह इस अधिनियम के अधीन किसी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा या कुर्की के बिना विक्रय द्वारा किसी राशि की वसूली के लिए किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता है अथवा ऐसी वसूली के लिए उसे किए गए किसी आवेदन पर कोई आदेश करता है, सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

113. सरकार को देय राशियों की वसूली :– सहकारी सोसाइटी से सरकार को देय सभी राशियां, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन सरकार के पक्ष में अधिनिर्णीत कोई खर्चे भी हैं, रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त दिए गए प्रमाणपत्र पर, प्रथमतः सोसाइटी की सम्पत्ति से, द्वितीयतः ऐसी सोसाइटी के मामले में जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित है, सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों या मृत सदस्यों के दायित्व की सीमा के अध्यधीन उनकी सम्पदाओं से तथा तृतीयतः अन्य सोसाइटी के मामले में, सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों या मृत सदस्यों की सम्पदा से वसूल की जा सकती है।

अध्याय–XVIII
अपीलें और पुनरीक्षण

114. अपीलें :– (1) इस धारा के अधीन निम्नलिखित के विरुद्ध अपील हो सकेगी–

(क) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन किया गया रजिस्ट्रार का किसी सोसाइटी को पंजीकृत करने से इंकार करने का कोई आदेश;

(ख) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन किया गया रजिस्ट्रार का किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के किसी संशोधन को पंजीकृत करने से इन्कार करने का कोई आदेश;

(ग) किसी उत्पादक सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी सोसाइटी का, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सोसाइटी की उपविधियों के अधीन सदस्यता के लिए अन्यथा सम्यक् रूप से अर्हित है, सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित करने से इंकार करने का कोई विनिश्चय;

(घ) किसी सहकारी सोसाइटी का अपने सदस्यों में से किसी को निष्कासित करने का कोई विनिश्चय;

(ङ) धारा 27 के अधीन संकल्प को विखंडित करने का रजिस्ट्रार का कोई आदेश;

(च) धारा 34 या 35 के अधीन किया गया रजिस्ट्रार का किसी सहकारी सोसाइटी की समिति अथवा समिति के सदस्य को हटाने का कोई आदेश;

(छ) धारा 51 के अधीन प्रतिकर के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार द्वारा किया गया कोई आदेश;

(ज) धारा 95 के अधीन खर्चे इत्यादि के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार द्वारा किया गया कोई आदेश;

(झ) धारा 100 के अधीन किसी जांच या निरीक्षण के खर्चों के प्रभाजन के बारे में रजिस्ट्रार द्वारा किया गया कोई आदेश;

(ञ) धारा 101 के अधीन अधिभार का कोई आदेश;

(ट) धारा 103 के अधीन किया गया कोई विनिश्चय या अधिनिर्णय;

(ठ) धारा 104 के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने वाला कोई आदेश;

(ड) धारा 105 के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का कोई आदेश;

(ढ) धारा 107 के अधीन समापक द्वारा किया गया कोई आदेश; और

(ण) धारा 111 के अधीन अधिनिर्णय पूर्व कुर्की का कोई आदेश।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील–

(क) यदि विनिश्चय या आदेश सहायक रजिस्ट्रार द्वारा किया गया था तो, उप–रजिस्ट्रार को;

(ख) यदि विनिश्चय या आदेश उप–रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा किया गया था तो, रजिस्ट्रार को या ऐसे अपर रजिस्ट्रार को जिसे इस निमित्त रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया जाए;

*(ग) यदि अतिरिक्त रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार का कोई व्यक्ति जिस पर इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त थी, द्वारा निर्णय या आदेश किया गया था तथा जो उपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) के अन्तर्गत नहीं आता, सरकार को; तथा

(घ) यदि विनिश्चय या आदेश किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया था तो, रजिस्ट्रार को या ऐसे अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त या उप–रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार को, **[जिसे इस निमित्त रजिस्ट्रार के विशेष या सामान्य आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाए ;] विनिश्चय या आदेश की तिथि से साठ दिन के भीतर की जाएगी।

(3) अपील में किसी प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं हो सकेगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से तुरन्त पहले किसी प्राधिकारी के पास लम्बित कोई अपील, उस प्राधिकारी को, जिसके पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपील हो सकती है, अन्तरित हो जाएगी।

115. पुनरीक्षण :– सरकार स्वयमेव या ***[किसी व्यथित पक्षकार] के आवेदन पर, किसी विनिश्चय या किए गए आदेश की वैधता और औचित्य के बारे में ***[इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन] किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों का अभिलेख, जिनके सम्बन्ध में धारा 114 के अधीन सरकार को कोई अपील नहीं हो सकती, मंगवा सकती है और उसकी परीक्षा कर सकती है और यदि किसी मामले में सरकार को यह प्रतीत होता है कि कोई ऐसा विनिश्चय या आदेश उपान्तरित, निष्प्रभावित या पुनरीक्षित किया जाना चाहिए तो सरकार उस पर, उस द्वारा प्रभावित होने वाले लोगों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।

116. अन्तर्वर्ती आदेश :– जहां धारा 114 के अधीन कोई अपील की जाती है या जहां सरकार धारा 115 के अधीन किसी मामले के अभिलेख मंगाती है वहां, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या सरकार न्याय के उद्देश्य की विफलता निवारित करने के लिए अपील या पुनरीक्षण के विनिश्चय होने तक ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश, जिनके अन्तर्गत रोकने का आदेश भी है, कर सकती है, जैसे ऐसा प्राधिकारी या सरकार उचित समझे।

अध्याय–XIX

अपराध और शास्तियां

117. अपराध :– (1) सिवाय सहकारी सोसाइटी के कोई ऐसा व्यक्ति, जो सरकार की स्वीकृति के बिना किसी ऐसे नाम या अभिधान से, जिसमें "सहकारी" शब्द या किसी भारतीय भाषा में उसका पर्याय भाग है, कारबार चलाता है, कारावास से जो छह मास तक की अवधि का हो सकता है या जुर्माने से जो *[पांच हजार] रुपये तक हो सकता है या दोनों से दंडनीय होगा और चालू रहने वाले भंग की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रथम भंग के लिए दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान वह भंग होता रहता है, *[पांच सौ] रुपये तक हो सकता है, दंडनीय होगा।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य या भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य का कोई नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि, जो धारा 52 और 53 के उपबन्धों का उल्लंघन, किसी ऐसी सम्पत्ति के व्ययन द्वारा करता है जिसके बारे में सोसाइटी उस धारा के अधीन प्रथम भार रखने के लिए हकदार है, या ऐसे दावे के प्रतिकूल कोई अन्य कार्य करता है, जुर्माने से दंडनीय होगा, जो *[पांच हजार] रुपये तक हो सकता है।

(3) सहकारी सोसाइटी या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जान–बूझकर मिथ्या विवरणी दे रहा है या मिथ्या सूचना प्रस्तुत कर रहा है, अथवा कोई व्यक्ति जानबूझकर या बिना किसी युक्तियुक्त हेतुक के इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए किसी सम्मन, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस निमित्व प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित कोई सूचना जानबूझकर प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय होगा।

(4) कोई नियोजक या ऐसे नियोजक की ओर से कार्य कर रहा अधिकारी या अभिकर्ता, जो पर्याप्त हेतुक के बिना धारा 45 के अधीन उस द्वारा काटी गई राशि को ऐसी कटौती करने की तिथि से चौदह दिन की अवधि के भीतर किसी सहकारी सोसाइटी को जमा करवाने में असफल रहता है, वह उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी ऐसी कार्यवाही, जो उसके विरुद्ध की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय होगा।

(5) कोई अधिकारी या अभिरक्षक, जो धारा 50, 51, 95, 97, 98, 99 और 106 के अधीन हकदार किसी व्यक्ति को किसी सहकारी सोसाइटी से सम्बनिधत बहियां, अभिलेख, नकदी, प्रतिभूति और अन्य सम्पत्ति को प्रस्तुत करने या उसकी अभिरक्षा सौंपने में जानबूझकर असफल रहता है, तो कारावास की ऐसी अवधि से जो छह मास तक बढ़ाई जा सकती है या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से, दंडनीय होगा और छह मास से अधिक चालू रहने वाले भंग की दशा में ऐसे अतिरिक्तजुर्माने से जो ऐसे प्रथम भंग के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान भंग जारी रहता है, एक सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, दण्डनीय होगा।

(6) कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसी सम्पत्ति का कपटपूर्वक अर्जन करता है या उसके अर्जन में दुष्प्रेरण करता है, जो धारा 52 और 53 के अधीन भारग्रस्त है, जुर्माने से दंडनीय होगा, जो *[एक हजार] रुपये तक हो सकता है।

(7) कोई व्यक्ति, जो सम्पत्ति का, इसके विक्रय या कुर्की से बचने के आशय से सोसाइटी के प्रभार के अधीन रहते हुए, अन्तरण करता है, ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(8) प्रबन्ध समिति का सदस्य रहते हुए कोई व्यक्ति जो पर्याप्त हेतुक के बिना धारा 95 के उपबंन्धों के अनुसार लेखा संपरीक्षा करवाने में असफल रहता है, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

"(9) रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बिना सहकारी सोसाइटियों सहित गैर सदस्यों या अन्य सोसाइटियों को ऋण देने वाली सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसे कारावास से जो छह मास तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

"(10) यदि सोसाइटी का कोई अधिकारी, कर्मचारी, अधिकर्त्ता या सेवक या सोसाइटी से संव्यवहार कर रहा कोई व्यक्ति उस सोसाइटी से सम्बन्धित धन का गबन करता है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसी अवधि, जो दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है के कारावास या दोनों से दण्डनीय होगा।

"(11) यदि कोई व्यक्ति बेईमानी या धोखे से कोई दस्तावेज या मूल्यांकन प्रमाण–पत्र या परियोजना रिपोर्ट बनाता है या निष्पादित करता है या बनवाता है या निष्पादित करवाता है या ऋण के लिये किसी आवेदन के समर्थन में काल्पनिक कम्पनी या फर्म या सोसाइटी रजिस्ट्रर करता है या करवाता है तथा इसके द्वारा, उसको या किसी अन्य व्यक्ति को जो सोसाइटी को हानि पहुँचाता है किसी ऋण को देने हेतु किसी सोसाइटी को उकसाता है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसी अवधि जो दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के कारावास या दोनों से दण्डनीय होगा।

"(12) कोई व्यक्ति जो सदस्यों या समिति या अधिकारियों के निर्वाचन से पूर्व, दौरान या बाद में कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसे कारावास से जो छह मास तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

"(13) कोई व्यक्ति जो सोसाइटी के लिये शेयर धन एकत्रित करता है तथा उसकी प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर बैंक में सोसाइटी के खाते में उसे जमा नहीं करवाता या इस प्रकार एकत्रित की गई निधियों का वैयक्तिक उपयोग के लिये उपयोग

करता है या इस अधिनियम के अधीन या अन्यथा पहले से ही रजिस्टर्ड सहकारी सोसाइटी के नाम से कोई कारबार या व्यापार संचालित करता है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसे कारावास से जो छह मास तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

"(14) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड सहकारी सोसाइटी के नाम में सदस्यों या भावी सदस्यो से मिथ्या से शेयर धन या कोई अन्य राशि एकत्रित करता है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसे कारावास से जो छह मास तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

"(15) सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य जो किसी बही, कागज–पत्रों या प्रतिभूतियों या सामग्री को नष्ट करता है, विकृत करता है, छेड़–छाड़ करता है, या अन्यथा हेर–फेर करता है, में गोल–माल करता है, या छुपाता है, या विनाश, विकृत, हेरफेर, गोलमाल या छुपाने का संसर्गी है या सोसाइटी से सम्बन्धित का संसर्गी है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसे कारावास से जो छह मास तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

"(16) कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी भी रूप में यह दर्शाते हुये झूठा प्रमाण–पत्र देता है कि व्यक्ति चूककर्ता है या सक्रिय सदस्य है या चूककर्ता नहीं है या सक्रिय सदस्य नहीं है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, दण्डनीय होगा।

"(17) किसी सोसाइटी में जहां उपविधियों निक्षेपों की स्वीकृति के लिए उपलब्ध नहीं करती है तथा कोई अधिकारी या सदस्य उसकी ओर से निक्षेपों को स्वीकार करता है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

"(18) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त कारण के बिना धारा 120 की उपधारा (2) के अनुसार, विहित अवधि के भीतर, सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है, तो वह प्रतिदिन सौ रुपये के जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, दण्डनीय होगा।

"(19) इस धारा के अधीन कोई भी आदेश सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

"(20) इस धारा की उपधारा (2), (3), (4), (6), (7), (8), (16) तथा (18) के अधीन अपराध रजिस्ट्रार द्वारा प्रशम्य किए जाएगें।"।

118. अपराध का संज्ञान :– (1) प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से नीचे का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध पर विचारण नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति सम्बन्धित व्यक्ति को अपने पक्ष में अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं दी जाएगी।

***119. सोसाइटी का पता :–** इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का हरियाणा राज्य में अपना मुख्यालय होगा तथा विहित रीति में इसका पता पंजीकृत होगा जिस पर सभी नोटिस तथा सूचनाएं भेजी जा सकती हैं तथा वह उसमें हुए प्रत्येक परिवर्तन का नोटिस ऐसे परिवर्तन की तिथि से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजेगी।

****119क. संघीय सोसाइटी से सम्बन्धन करना या असम्बन्धन करना :–** सहकारी उधार संरचना की कोई इकाई, रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से संघीय सोसाइटी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, संघीय सोसाइटी के साथ सम्बद्ध या असम्बद्ध हो सकती है। इसे किसी निश्रेणी में प्रवेश करने तथा बाहर निकलने की स्वतंत्रता होगी तथा इसके संचालन के लिए भौगोलिक सीमाओं के आदेशात्मक निर्बन्धन नहीं होंगे।

"120. अधिनियम, नियमों और उपविधियों इत्यादि की प्रति निरीक्षण के लिए खुली रखना :–(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम, नियमों तथा इसकी उपविधियों की प्रति तथा इसके सदस्यों की सूची भी सोसाइटी के रजिस्टर्ड पते पर सभी युक्तियुक्त समय पर बिना प्रभार के निरीक्षण के लिए खुली रखेगी।

(2) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य की पहुँच के लिए रजिस्ट्रार द्वारा विहित फीस, यदि कोई हो, प्रभारित करते हुए ऐसे सदस्य के साथ इसके कारोबार के नियमित संव्यवहार में रखी गई सहकारी सोसाइटी की बहियां, सूचना तथा लेख उपलब्ध करवाएगी।"।

121. "सहकारी" शब्द के प्रयोग पर प्रतिबन्ध :– किसी सहकारी सोसाइटी से भिन्न कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे नाम या अभिधान से, जिसमें "सहकारी" शब्द या किसी भारतीय भाषा में उसका पर्याय भाग है, व्यवसाय नहीं करेगा या कारबार नहीं चलाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी व्यक्ति या उसके हित–उत्तराधिकारी द्वारा किसी ऐसे नाम या अभियान के प्रयोग को लागू नहीं होगी, जिसके अधीन वह उस तिथि को कारबार करता था, जिसको सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) प्रवर्तन में आया।

****121क. बैंक', 'बैंकिग', 'बैंकर' या 'बैंक' शब्द के किसी अन्य व्युत्पन्न शब्दों का प्रयोग :–** कोई भी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी 'बैंक', 'बैंकिग', 'बैंकर' या 'बैंक' शब्द के किसी अन्य व्युत्पन्न शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी।

122. छूट देने की शक्तियां :– इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार साधारण या ***[विशेष आदेशों द्वारा, कारण लिखने के पश्चात्] और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो वह अधिरोपित करें, इस अधिनियम के उपबन्धों में से किन्हीं से किसी सोसाइटी या सोसाइटी–वर्ग को छूट दे सकती है।

******123. कर्मचारियों आदि का लोक सेवक होना** :– इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में लगाया गया सहकारी सोसाइटी का कोई कर्मचारी या समापक या मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45), की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

124. वादों मे नोटिस आवश्यक :– किसी सहकारी सोसाइटी के कारबार से सम्बन्धित किसी कार्य के बारे में सहकारी सोसाइटी या उसके सदस्यों में से किसी के भी विरुद्ध कोई भी वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक वाद–हेतुक, वादी का नाम, विवरण और निवास स्थान तथा अनुतोष, जिसका वह दावा करता है, का कथन करने वाला लिखित नोटिस रजिस्ट्रार को दिए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात् ठीक दो मास समाप्त नहीं हो गए हैं और वादपत्र में यह कथन भी होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार दिया जा चुका है या छोड़ा गया है।

125. इस अधिनियम के अधीन नोटिस की तामिल :– जब कभी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को लिखित रूप में नोटिस दिया जाना अपेक्षित हो, तब ऐसा नोटिस रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाना पर्याप्त होगा।

126. कम्पनी अधिनियम का लागू न होना :– कम्पनी अधिनियम, 1956, के उपबन्ध सहकारी सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे।

127. विद्यमान सोसाइटियों की व्यावृति :– सहकारी उधार सोसाइटी अधिनियम, 1904, या सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912, या सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1954, या पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961, के अधीन पंजीकृत प्रत्येक सोसाइटी इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन पंजीकृत समझी जाएगी, और उसकी उपविधियां, वहां तक जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी, जब तक वे परिवर्तित या विखंडित नहीं कर दी जातीं।

128. न्यायालयों की अधिकारिता का अर्जन :– (1) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी सिविल न्यायालय, *[या राजस्व न्यायालय] को निम्नलिखित के बारे में कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी:–

(क) किसी सहकारी सोसाइटी का या उसकी उपविधियों का या किसी उपविधि के किस संशोधन का पंजीकरण;

(ख) किसी समिति का हटाया जाना;

(ग) धारा 102 के अधीन रजिस्ट्रार की मध्यस्थता के लिए निर्देश करने हेतु अपेक्षित कोई विवाद या कोई मामला जिसमें धारा 104 के अधीन कार्यवाहियां आरम्भ की गई हैं; या

(घ) किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन और विघटन सम्बन्धी कोई विषय।

(2) जब किसी सहकारी सोसाइटी का परिसमापन किया जा रहा है, तब सिवाय रजिस्ट्रार की अनुमति के और ऐसे निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करे, समापक के विरुद्ध उस हैसियत में या सोसाइटी या उसके किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी सोसाइटी के कारबार से सम्बन्धित कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही चलाई या संस्थित नहीं की जाएगी।

(3) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी भी आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय को किसी न्यायालय *[.....] में किसी भी आधार पर प्रश्नत नहीं किया जाएगा।

129. सिविल न्यायालयां की शक्तियों का प्रयोग :– इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन स्वयं को प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करते हुए धारा 103 के अधीन विवाद का विनिश्चय करने वाले रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या किसी अन्य व्यक्ति और किसी सहकारी सोसाइटी के समापक को या

लेखा परीक्षा, निरीक्षण या जांच करने के लिए हकदार किसी व्यक्ति को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), के अधीन निम्नलिखित विषयों के बारे में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ–पत्रों द्वारा तथ्यों का सिद्ध किया जाना; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

130. परित्राण :– इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की गई तात्पर्यित किसी बात के बारे में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार के आधार पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हो सकेगी।

131. नियम बनाने की शक्ति :– (1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यरूप देने के लिये किसी सहकारी सोसाइटी या ऐसे सोसाइटी वर्ग के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिये उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात्:–

(i) किसी सहकारी सोसाइटी के अधिकतम अंशों की संख्या या पूंजी का भाग, जो धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी सदस्य द्वारा धारित किया जा सकता है;

(ii) धारा 7 के अधीन किसी सोसाइटी के पंजीकरण के लिये आवेदन करने के लिये प्रयोज्य प्ररूप, अनुपालनीय शर्तें और प्रक्रिया;

(iii) धारा 10 के अधीन उपविधियां बनाने, परिवर्तित करने तथा निराकृत करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे परिवर्तन या निराकरण से पूर्व पूरी की जाने वाली शर्तें;

(iv) धारा 12 के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी के दायित्व के स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन के लिये प्रक्रिया और शर्तें;

(v) सदस्यों के रूप में प्रवेश के लिये आवेदन करने वाले या प्रविष्ट व्यक्तियों द्वारा अनुपालनीय शर्तें, सदस्यों के निर्वाचन तथा प्रवेश के लिये तथा सदस्यता के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व किए जाने वाले भुगतान और अर्जनीय हित;

(vi) रीति, जिसमें अंशों और डिबैंचरों द्वारा या अन्यथा धन एकत्रित किया जा सकता है;

(vii) सदस्यों के साधारण अधिवेशन के लिये तथा ऐसे अधिवेशनों में प्रक्रिया के लिये और ऐसे अधिवेशनों द्वारा प्रयोज्य शक्तियां;

(viii) प्रतिषेध और निर्बन्धन, जिसके अधीन रहते हुए सोसाइटियां सदस्येतर व्यक्तियों के साथ कारबार कर सकती हैं;

(ix) किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी की, जिसकी कोई अन्य सहकारी सोसाइटी सदस्य है, प्रबन्ध समिति और उसके साधारण निकाय के गठन में व्यक्तियों और सोसाइटियों का अनुपात;

(x) समितियों के सदस्यों का निर्वाचन और नाम निर्देशन, अधिकारियों की नियुक्ति या निर्वाचन और सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों का निलम्बन और हटाया जाना तथा समितियों और अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोज्य शक्तियां और पालनीय कर्तव्य;

(xi) सोसाइटी के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति;

(xii) प्रशासक की नियुक्ति और उसे सौंपे गए कार्य का विनियमन;

(xiii) किसी सहकारी सोसाइटी को अपनी समिति के सदस्य या अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यतिक्रमी सदस्य को चुनने से प्रतिषिद्ध किया जाना;

(xiv) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा रखे जाने वाले लेखे और बहियां, ऐसे लेखों की परीक्षा तथा ऐसी परीक्षा के लिए, लिए जाने वाले प्रभार, यदि कोई हों, और किसी सहकारी सोसाइटी की आस्तियां और दायित्व दर्शित करने वाले तुलन–पत्र का नियतकालिक प्रकाशन के लिये;

(xv) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण, व्यक्ति जिनके द्वारा तथा प्ररूप, जिसमें ऐसे विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे और असफल रहने की दशा में, उन्हें तैयार करने के व्यय का उद्ग्रहण;

(xvi) सदस्यों की पंजी, अंशों की पंजी तथा बन्धकों और भारों तथा रखे जाने वाले प्ररूपों की पंजी तैयार करना और उसे बनाए रखना;

(xvii) मध्यस्थ की नियुक्ति;

(xviii) व्यक्ति, जिनके द्वारा तथा प्ररूप, जिसमें, सोसाइटियों की बहियों की प्रविष्टियों की प्रतियां प्रमाणित की जा सकती हैं और ऐसी प्रतियों के प्रदाय के लिये उद्ग्रहणीय प्रभार;

(xix) विवाद का विनिश्चय करने वाले रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या अन्य व्यक्तियों के समक्ष कार्यवाहियों में अनुसरणीय प्रक्रिया;

(xx) सदस्यों का निवर्तन तथा निष्कासन और ऐसे सदस्यों को, जो निवर्तित होते हैं या निष्कासित किए जाते हैं, किए जाने वाले भुगतान, यदि कोई हों, और भूतपूर्व सदस्यों का और मृत सदस्यों की सम्पदाओं का दायित्व;

(xxi) रीति, जिसमें मृत सदस्य के हित के अंश का मूल्य अभिनिश्चित किया जाएगा और जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति का नामनिर्देशन किया जाएगा, जिसे ऐसे अंश या हित का भुगतान या अन्तरण किया जा सकता है;

(xxii) कर्जों के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों द्वारा किए जाने वाले भुगतान और अनुपालनीय शर्तें, अवधि जिसके लिए कोई कर्जे दिए जा सकते हैं; और अधिकतम राशि जो किसी सदस्य को कर्ज दी जा सकती है;

(xxii क) धारा 75 के अधीन बन्धक भूमि को पट्टे पर देने के लिये रीति तथा शर्तें तथा निबन्धन;''

(xxiii) आरक्षित निधियों और अन्य निधियों का निर्माण एवं अनुरक्षण और उद्देश्य जिनके लिए ऐसी निधियों को उपयोजित किया जा सकता है और किसी सहकारी सोसाइटी के नियन्त्रणाधीन किन्हीं निधियों के विनिधान के लिए;

(xxiv) परिमाण, जिस तक कोई सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों की संख्या सीमित कर सकती है;

(xxv) शर्तें, जिनके अधीन अपरिसीमित दायित्व वाली किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्यों को लाभ वितरित किए जा सकते हैं, और लाभांश की अधिकतम दर, जिसका भुगतान सहकारी सोसाइटियों द्वारा किया जा सकता है;

(xxvi) सहकारी सोसाइटियों द्वारा डूबंत ऋणों की संगणना और उन्हें बट्टे–खाते डालने की रीति;

(xxvii) किसी समापक द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया;

(xxviii) इस अधिनियम के अधीन अपीलें प्रस्तुत करने में और उनका निपटान करने में अनुसरणीय प्रक्रिया;

(xxix) धारा 110 में निर्दिष्ट आदेशों के प्ररूप;

(xxx) आदेशिकाओं का जारी किया जाना और उनकी तामील तथा उनकी तामील का साबित किया जाना;

(xxxi) कुर्की करने की रीति;

(xxxii) कुर्की के अधीन सम्पत्ति की अभिरक्षा, उसका परिरक्षण और विक्रय;

(xxxiii) कुर्क की गई सम्पत्ति पर व्यतिक्रमी से भिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी अधिकार या हित के दावों के सम्बन्ध में अन्वेषण और ऐसे अन्वेषण होने तक विक्रय का स्थगन;

(xxxiv) विनश्वर वस्तुओं का विक्रय;

(xxxv) रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण के कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतियां देने के लिए फीसों का उद्ग्रहण;

(xxxvi) निबन्धन और शर्तें, जिन पर सरकार सोसाइटियों को अंश–पूंजी का अभिदाय कर सकती है या वित्तीय अथवा अन्य सहायता दे सकती है और निबन्धन और शर्तें, जिन पर सरकार, सोसाइटियों द्वारा जारी किए गए डिबैंचरों या बन्ध–पत्रों या लिए गए कर्जों के मूलधन का या उन पर ब्याज के भुगतान की गारंटी दे सकती है;

(xxxvii) रीति, जिसमें किसी सोसाइटी या सोसाइटी–वर्ग द्वारा अंशों या डिबैंचरों के माध्यम से अथवा अन्यथा निधियां एकत्रित की जा सकती हैं और इस प्रकार एकत्रित निधियों की मात्रा;

(xxxviii) भार या बंधक सृष्ट करने के लिए घोषणा का प्ररूप;

(xxxix) किसी सोसाइटी की या सोसाइटी–वर्ग की समिति के सदस्यों और कर्मचारियों की अर्हताएं और सेवा की शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए सोसाइटियों द्वारा व्यक्तियों को नियोजित किया जा सकता है;

(xl) सूचित किए जाने या प्रकाशित किए जाने के लिए अपेक्षित किसी आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय के सूचित किए जाने या प्रकाशित किए जाने की पद्धति;

(xli) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती है और यदि उस सत्र की, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र की समाप्ति से पूर्व सदन उस नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाता है या सदन सहमत हो जाता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो उसके पश्चात् वह नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तरण या निष्प्रभावन उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

132. निरसन :– पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 (1961 का 25), तथा पंजाब सहकारी कृषि विकास बैंक अधिनियम, 1957 (1957 का 26), इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

*अनुसूची

(देखिए धारा 2 (ङ ख))

1. **स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता :–** सहकारी स्वैच्छिक संगठन हैं, जो उनकी सेवाएं उपयोग करने वाले योग्य सभी व्यक्तियों के लिए खुली हैं तथा लिंग, सामाजिक असमानता, जातीय, राजनैतिक विचारधाराओं या धार्मिक विचारों के आधार पर विभेदीकरण के बिना सदस्यता की जिम्मेवारियां स्वीकार करने के इच्छुक हैं।

2. **लोकतन्त्रात्मक सदस्य नियन्त्रण** :– सहकारी संगठन अपने सदस्यों द्वारा नियन्त्रित लोकतन्त्रात्मक संगठन हैं जो अपनी नीतियां स्थापित करने तथा निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन सहकारी संगठनों के निर्वाचित प्रतिनिधि, अपने सदस्यों के लिए जिम्मेवार तथा उत्तरदायी हैं।

3. **सदस्यों की आर्थिक हिस्सेदारी :–** सदस्य समान रूप से अंशदान करते हैं तथा लोकतन्त्रात्मक रूप से अपने सहकारी संगठनों की पूंजी का नियन्त्रण करते हैं। आर्थिक परिणामों से उत्पन्न अधिशेष का कम से कम कोई भाग सहकारी संगठनों की सामूहिक सम्पत्ति होगी। शेष अधिशेष सहकारी संगठन में सदस्यों को उनके हिस्से के अनुपात में लाभ देने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

4. **स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता :–** सहकारी संगठन अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित, स्वायत्त, स्वतः सहायता संगठन हैं। यदि सहकारी संगठन सरकार सहित अन्य संगठनों से करार करते हैं या बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाते हैं, तो वे निबन्धनों पर ऐसा कर सकते हैं ताकि सदस्यों द्वारा उनका लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा सहकारी स्वशासन के अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।

5. **शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सूचना :–** सहकारी संगठन अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देते हैं ताकि वे अपनी सहकारी संगठनों के विकास के लिए प्रभावी रूप से अंशदान कर सकें। वे जन–साधारण, विशेष रूप से युवा लोग तथा नेताओं, को सहकारिता के स्वरूप तथा लाभों से भी जागरूक करेंगे।

6. **सहकारी संगठनों के बीच सहयोग :–** स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संरचनाओं की उपलब्धता के माध्यम से मिल–जुल कर कार्य करते हुए सहकारी संगठन अपने सदस्यों की अधिक प्रभावी रूप से सेवा करते हैं तथा सहकारी आन्दोलन को बल देते हैं।

7. **समुदाय के लिए महत्व** :– अपने सदस्यों की आवश्यकताओं का केन्द्रीकरण करते समय सहकारी संगठन अपने सदस्यों द्वारा स्वीकार की गई नीतियों के माध्यम से समुदाय के निरन्तर विकास के लिए सहकारी कार्य करते हैं।